[2022] 7 एस. सी. आर 686

एक्स

वी.

राजकीय सचिव, स्वास्थ्य और परिवार

कल्याण विभाग, सरकार। एन. सी. टी. दिल्ली और ए. एन. आर.

(2022 की सिविल अपील संख्या 5802)

29 सितंबर, 2022

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़,

ए. एस. बोपन्ना और जे. बी. पारदीवाला, जे. जे.]

चिकित्सा गर्भपात अधिनियम 1971 (संशोधन द्वारा)

चिकित्सा गर्भपात (संशोधन) अधिनियम, 2021)-एस।

3 (2) (ख)-मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स, 2003 (मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी (संशोधन) रूल्स, 2021 द्वारा संशोधित)

-

नियम 3 बी-भारत का संविधान-अनुच्छेद 14,21-एम. टी. पी. नियमों के नियम 3 बी की व्याख्या-अविवाहित या एकल महिलाएँ

नियम 3 बी के दायरे में-उद्देश्य और उद्देश्य-प्रजनन स्वायत्तता का अधिकार-गरिमा का अधिकार-अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की और प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी सहमति से संबंध में था और गर्भवती हो गई थी-क्योंकि उसके साथी ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था और आजीविका के स्रोत के अभाव में, वह एक अविवाहित माँ के रूप में एक बच्चे का पालन-पोषण करने में असमर्थ होगी-अपीलार्थी ने एक आपराधिक विविध भी स्थापित किया

रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान उसकी गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए अंतरिम राहत देने के लिए आवेदन-उच्च न्यायालय ने मांगी गई राहत देने से इनकार कर दिया और कहा कि एम. टी. पी. अधिनियम की धारा 3 (2) (बी) लागू नहीं होती है और चूंकि अपीलकर्ता, एक अविवाहित महिला होने के नाते, नियम 3 बी के किसी भी उपखंड के दायरे में नहीं आती है।

एम. टी. पी. नियम-उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील दायर की गई थी और अंतरिम आदेश द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश को संशोधित किया गया था और अपीलार्थी को अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी गई थी-क्योंकि मामले में कानून का पर्याप्त सवाल शामिल था, उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका को सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया

था-इसमें शामिल मुद्दा एम. टी. पी. नियमों के नियम 3 बी की व्याख्या है-आयोजितः एस में। 3 एम. टी. पी. संशोधन अधिनियम के उपयोग किए गए शब्द "कोई भी महिला या उसका साथी" हैं, इन शब्दों को हटाकर (जो संशोधन से पहले मौजूद थे) "विवाहित महिला या उसका पति" विधानमंडल का उद्देश्य एस के दायरे को स्पष्ट करना है। 3 इसके अलावा, "यौन हमला" या "बलात्कार" शब्दों का अर्थ माना जाता है।

686 एक्स वी। पीआर। एसईसीवाई। , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग। , जीएनसीटी दिल्ली

नियम 3 बी (ए) में पति का यौन उत्पीड़न या बलात्कार का कार्य शामिल है। (वैवाहिक बलात्कार) अपनी पत्नी पर किया गया लेकिन केवल एम. टी. पी. अधिनियम के उद्देश्यों के लिए-अविवाहित महिलाओं को सुरक्षित और सुरक्षित पहुँच का अधिकार है।

बीस से चौबीस सप्ताह के बीच कानूनी गर्भपात, यदि वे विवाहित महिलाओं के समान अपनी भौतिक परिस्थितियों में बदलाव का सामना करते हैं-विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच अंतर मूल उद्देश्य और उद्देश्य के साथ संबंध नहीं रखता है जिसे प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। संसद द्वारा-उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, अविवाहित या एकल महिलाओं (जो अपनी भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन का सामना करती हैं) को नियम 3 बी के दायरे से बाहर रखने का कोई तर्क नहीं है।

चिकित्सा गर्भपात अधिनियम 1971 (चिकित्सा गर्भपात (संशोधन) अधिनियम, 2021 द्वारा संशोधित)-उद्देश्य और उद्देश्य-चर्चा की गई।

मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी रूल्स, 2003 (मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (अमेंडमेंट) रूल्स, 2021 द्वारा संशोधित)-नियम 3 बी-प्रेग्नेंसी की सकारात्मक व्याख्या।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

गर्भपात, महिलाओं को गुप्त, असुरक्षित गर्भपात का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करना। इन बाधाओं में अपर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाएं, जागरूकता की कमी, सामाजिक कलंक और गोपनीय देखभाल सुनिश्चित करने में विफलता शामिल हैं। कुछ स्थितियों में, अविवाहित महिलाओं को महिलाओं की यौन स्वायत्तता के बारे में लैंगिक रूढ़ियों के कारण विशेष बाधाओं का सामना करना पड़ता है। शादी के बाहर। ये बाधाएं एक गंभीर बाधा हैं और एकल महिलाओं को सुरक्षित और कानूनी गर्भपात कराने से रोकती हैं। इस तरह की बाधाएं गर्भपात सेवाओं तक पहुंचने में देरी या ऐसी सेवाओं से पूरी तरह से इनकार करने में योगदान कर सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं के प्रजनन स्वायत्तता के अधिकार को नकार दिया जा सकता है। [पैरा 18] [709-बी-सी]

2. यद्यपि एम. टी. पी. अधिनियम के तहत सद्भावना से किए गए आर. एम. पी. के कार्यों को धारा 8 के तहत संरक्षित किया गया है, अपराधीकरण उन पर एक भयावह प्रभाव डालता है। आर. एम. पी. एस. द्वारा दंडात्मक प्रावधानों के तहत अभियोजन का सामना करने का डर अक्सर अनावश्यक देरी का कारण बनता है। आर. एम. पी. के लिए महिला के परिवार की सहमति, दस्तावेजी प्रमाण, या [2022] 7 एस. सी. आर. जैसी अतिरिक्त कानूनी शर्तों के अनुपालन पर जोर देना एक आम लेकिन खेदजनक प्रथा है।

न्यायिक प्राधिकरण। यदि महिला इन अतिरिक्त आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहती है, तो आर. एम. पी. अक्सर कानूनी गर्भपात कराने में अपनी सेवाएं प्रदान करने से इनकार कर देते हैं। ये अतिरिक्त-कानूनी

कानून में आवश्यकताओं का कोई आधार नहीं है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यह केवल महिला की सहमति (या उसके अभिभावक की सहमति यदि वह नाबालिग या मानसिक रूप से बीमार है) है जो भौतिक है। आर. एम. पी. को कानून के अनुसार अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने की इच्छा रखने वाली महिलाओं पर अतिरिक्त कानूनी शर्तें लगाने से बचना चाहिए। उन्हें केवल यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि एम. टी. पी. अधिनियम के प्रावधानों (साथ के नियमों और विनियमों के साथ) का पालन किया जाए। [पारस 22,23] [710-जी; 711-ए-सी]

3.आर. एम. पी. का गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति प्रदान करने का निर्णय भी आसपास के सामाजिक कलंक से प्रभावित होता है। अविवाहित महिलाएँ और पूर्व-वैवाहिक यौन संबंध, महिलाओं द्वारा मातृत्व की कमान संभालने के बारे में लैंगिक रूढ़िवादी धारणाएँ, और

समाज में महिलाएँ। विवाह-पूर्व यौन संबंधों में संलग्न होने के कारण महिलाओं को जिस सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ता है, वह उन्हें विभिन्न तरीकों से प्रजनन स्वास्थ्य के अपने अधिकार का एहसास करने से रोकता है। यौन स्वास्थ्य शिक्षा की कमी के कारण उनके पास अपने शरीर के बारे में ज्ञान की अपर्याप्त या कोई पहुंच नहीं है, गर्भ निरोधकों तक उनकी पहुंच सीमित है, और वे अक्सर स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से संपर्क करने और अपने प्रजनन स्वास्थ्य के संबंध में उनसे परामर्श करने में असमर्थ होते हैं। नतीजतन, अविवाहित और अविवाहित

महिलाओं को अतिरिक्त बाधाओं का सामना करना पड़ता है। [पैरा 26,28] [712-सी-डी; 713 ए-बी]

4. सवाल यह उठता है कि क्या नियम 3 बी के दायरे में अविवाहित महिलाएं, एकल महिलाएं या बिना साथी वाली महिलाएं शामिल हैं। नियम 3 बी की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या करके जवाब का पता लगाया जा सकता है। विधियों के निर्माण का मुख्य सिद्धांत विधायिका के इरादे और अधिनियम के सही कानूनी अर्थ की पहचान करना है। विधायिका का इरादा कानून में उपयोग किए गए शब्दों के अर्थ पर विचार करके, अधिनियम के उद्देश्य या उद्देश्य, शरारत और इसके उद्देश्य को समझने की दृष्टि से प्राप्त किया जाता है।

संबंधित उपाय जिसे अधिनियम को वास्तविक बनाने के लिए बनाया गया है। [पैरा 30,31] [713-ई-एफ]

5. जबकि कानून के अधिकांश लाभ विवाह की संस्था में निहित थे (और वास्तव में हैं), आधुनिक समय में कानून X v को हटा रहा है।

पीआर। एसईसीवाई। , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग। , जीएनसीटी दिल्ली

यह धारणा कि विवाह अधिकारों के लिए एक पूर्व शर्त है व्यक्ति (अकेले या एक दूसरे के संबंध में)। अपने उद्देश्य और उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए किसी अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या करते समय सामाजिक रूढ़ियों को बदलने को ध्यान में रखा जाना चाहिए। नवतेज सिंह में

जौहर, इस न्यायालय ने हमारे संविधान की परिवर्तनकारी प्रकृति पर जोर दिया। परिवर्तनकारी संविधानवाद बढ़ावा देता है और

संविधानवाद न्यायपालिका पर एक कर्तव्य रखता है कि वह "संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करे और उसे बनाए रखे, जबकि एक ही समय में यह सुनिश्चित करना कि समाज में परिवर्तन की भावना निरंतर और अंतहीन रूप से व्याख्या और लागू करके शुरू की जाए

संविधान के साथ-साथ स्वीकृत उद्देश्य के अनुरूप कानून के अन्य प्रावधान। [पारस 38,40] [718-डी-ई; 719-सी-डी]

6. एम. टी. पी. संशोधन अधिनियम 2021 ने लोगों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर चोट के कानूनी अनुमान का लाभ भी बढ़ाया। गर्भनिरोधक की विफलता के कारण एक महिला, सभी महिलाओं के लिए और न केवल विवाहित महिलाओं के लिए। अपरिवर्तित एम. टी. पी. अधिनियम में,

स्पष्टीकरण II में प्रावधान किया गया है कि बच्चों की संख्या को सीमित करने के उद्देश्य से किसी भी "विवाहित महिला या उसके पति" द्वारा उपयोग किए गए किसी उपकरण या विधि की विफलता के परिणामस्वरूप गर्भावस्था के कारण होने वाली पीड़ा को गंभीर चोट माना जा सकता है। महिला के मानसिक स्वास्थ्य के लिए। एम. टी. पी. संशोधन अधिनियम 2021 के बाद, स्पष्टीकरण I में प्रावधान किया गया है कि गर्भावस्था (बीस सप्ताह तक) के कारण होने वाली पीड़ा गर्भावस्था की विफलता से उत्पन्न होती है।

"किसी भी महिला या उसके साथी" द्वारा उपयोग किया जाने वाला गर्भनिरोधक उपकरण या तो बच्चों की संख्या को सीमित करने के लिए या गर्भावस्था को रोकने के लिए

इसे महिला के मानसिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर चोट माना जा सकता है। एम. टी. पी. अधिनियम की योजना से "विवाहित महिला या उसके पति" शब्द को समाप्त करके, विधायिका का इरादा था

7. 1971 का असंशोधित एम. टी. पी. अधिनियम काफी हद तक "विवाहित महिलाओं" से संबंधित था, जैसा कि इसके अनुच्छेद 1 से स्पष्ट है। उद्देश्यों और कारणों का विवरण, जिसमें कहा गया है कि अधिकांश [2022] 7 एस. सी. आर.

गर्भपात की मांग करने वाली महिलाओं की शादी हो चुकी थी, और इस प्रकार "नहीं के तहत"

उनकी गर्भावस्था को छिपाने की विशेष आवश्यकता "। महत्वपूर्ण बात यह है कि 2021 के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में ऐसा कुछ नहीं है।

विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच अंतर। बल्कि, सभी महिलाएं सुरक्षित और कानूनी गर्भपात के लाभ की हकदार हैं। [पैरा 56] [725-डी]

8."मानसिक स्वास्थ्य" अभिव्यक्ति का एक व्यापक अर्थ है और इसका अर्थ मानसिक हानि की अनुपस्थिति से कहीं अधिक है।

या कोई मानसिक रोग। विश्व स्वास्थ्य संगठन मानसिक स्वास्थ्य को "मानसिक कल्याण की स्थिति के रूप में परिभाषित करता है जो लोगों को जीवन के तनावों का सामना करने, अपनी क्षमताओं का एहसास करने, अच्छी तरह से सीखने और अच्छी तरह से काम करने और अपने समुदाय में योगदान करने में सक्षम बनाता है।" अपने मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति का निर्धारण अपने स्वयं में और अपने पर्यावरण और सामाजिक संदर्भ के भीतर अनुभवों में स्थित होता है। मानसिक स्वास्थ्य शब्द की हमारी समझ चिकित्सा शब्दों या चिकित्सा भाषा तक ही सीमित नहीं हो सकती है, लेकिन इसे आम बोलचाल में समझा जाना चाहिए। एम. टी. पी. अधिनियम स्वयं महिला के स्वास्थ्य के लिए चोट की व्याख्या करते समय उसके आसपास के वातावरण को देखने की आवश्यकता को पहचानता है। धारा 3 (3) में कहा गया है कि "उसके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर चोट" की व्याख्या करते समय, गर्भवती महिला के वास्तविक या मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखा जा सकता है।

उचित रूप से पूर्वानुमेय वातावरण। [पैरा 64] [729-बी-डी]

9. आई. पी. सी. की धारा 375 के अपवाद 2 के बावजूद, नियम में "यौन हमला" या "बलात्कार" शब्दों का अर्थ

3 बी (ए) में पति द्वारा अपनी पत्नी पर किए गए यौन उत्पीड़न या बलात्कार का कार्य शामिल है। इसलिए बलात्कार के अर्थ को केवल एम. टी. पी. अधिनियम और उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम और विनियम के उद्देश्यों के लिए वैवाहिक बलात्कार को शामिल करने के रूप में समझा जाना चाहिए। किसी भी अन्य व्याख्या का प्रभाव एक महिला को एक ऐसे साथी के साथ बच्चे को जन्म देने और उसका पालन-पोषण करने के लिए मजबूर करने का होगा जो उसे मानसिक और शारीरिक नुकसान पहुंचाता है। [पैरा 75] [733-ए-बी]

10. नियम 3 बी (ए) का लाभ उठाने के लिए महिला

यौन उत्पीड़न, बलात्कार या अनाचार के तथ्य को साबित करने के लिए औपचारिक कानूनी कार्यवाही का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। न ही धारा 3 (2) के स्पष्टीकरण 2 और न ही नियम 3 बी (ए) में यह अपेक्षा की गई है कि अपराधी को आई. पी. सी. या किसी अन्य आपराधिक कानून के तहत दोषी ठहराया जाए।

पीआर। एसईसीवाई। , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग। , जीएनसीटी दिल्ली

गर्भवती महिला के पहुँचने से पहले कुछ समय के लिए

गर्भपात। इसके अलावा, यह कोई आवश्यकता नहीं है कि एफ. आई. आर. दर्ज की जानी चाहिए या बलात्कार के आरोप को अदालत या किसी अन्य मंच पर साबित किया जाना चाहिए, इससे पहले कि इसे एम. टी. पी. अधिनियम के उद्देश्यों के लिए सही माना जा सके। ऐसी आवश्यकता एम. टी. पी. अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य के विपरीत होगी। वास्तव में, स्पष्टीकरण 2 मानसिक आघात के रूप में कानूनी धारणा को प्रेरित करता है "जहां गर्भवती महिला द्वारा किसी भी गर्भावस्था को बलात्कार के कारण होने का आरोप लगाया जाता है।" [पैरा 76] [733-सी-डी]

11. यदि नियम 3 बी (सी) की व्याख्या इस तरह की जाए कि इसका लाभ केवल विवाहित महिलाओं को ही मिले, तो यह नियम स्थायी हो जाएगा।

रूढ़िवादी और सामाजिक रूप से प्रचलित धारणा है कि केवल विवाहित महिलाएं

यौन संभोग में लिप्त होना, और इसके परिणामस्वरूप, कानून में लाभ केवल उन्हें ही मिलना चाहिए। विवाहित और एकल महिलाओं के बीच यह कृत्रिम अंतर संवैधानिक रूप से नहीं है।

गुजर सकता है। यह केवल उप-नियमों (सी), (एफ) और (जी) में एक महिला की भौतिक परिस्थितियों में कुछ संभावित परिवर्तनों को निर्दिष्ट करता है। एम. टी. पी. अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य से, इसकी समग्र योजना, और नियम 3 बी में निर्दिष्ट महिलाओं की श्रेणियों में, यह स्पष्ट है कि विधायिका का इरादा धारा 3 (2) (बी) और नियम 3 बी के लाभ को केवल उन महिलाओं तक सीमित करने का नहीं था जो

नियम 3 बी में उल्लिखित सीमित परिस्थितियों में उनके जीवन की परिस्थितियों में भौतिक परिवर्तन का सामना करना पड़ा। बल्कि, नियम 3 बी द्वारा दिए गए लाभ को उन सभी महिलाओं के लिए विस्तार के रूप में समझा जाना चाहिए जो भौतिक परिस्थितियों के परिवर्तन से गुजरती हैं। [पारस 92,93] [738-सी-एफ]

12. प्रजनन अधिकारों का दायरा महिलाओं के बच्चे पैदा करने या न करने के अधिकार तक ही सीमित नहीं है। इसमें स्वतंत्रताओं और अधिकारों का समूह भी शामिल है जो एक

महिला अपने यौन और प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित सभी मामलों पर स्वतंत्र रूप से निर्णय ले। प्रजनन अधिकारों में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार और गर्भनिरोधक और यौन के बारे में जानकारी शामिल है [2022] 7 एस. सी. आर.

स्वास्थ्य, यह तय करने का अधिकार कि क्या और किस प्रकार के गर्भ निरोधकों का उपयोग करना है, यह चुनने का अधिकार कि क्या और कब करना है बच्चे हैं, बच्चों की संख्या चुनने का अधिकार है, सुरक्षित और कानूनी गर्भपात तक पहुँच का अधिकार है, और प्रजनन स्वास्थ्य सेवा का अधिकार है। महिलाओं को जबरदस्ती या हिंसा से मुक्त, इन अधिकारों से संबंधित निर्णय लेने की स्वायत्तता भी होनी चाहिए। [पैरा 96] [739-बी-डी]

13. यदि अवांछित गर्भधारण वाली महिलाओं को वहन करने के लिए मजबूर किया जाता है

उनकी गर्भधारण अवधि के लिए, राज्य उन्हें यह निर्धारित करने के अधिकार से वंचित कर रहा होगा कि उनके जीवन का तत्काल और दीर्घकालिक मार्ग क्या होगा। महिलाओं को न केवल उनके शरीर पर बल्कि उनके जीवन पर भी स्वायत्तता से वंचित करना उनकी गरिमा का अपमान होगा। अपने लिए चुनने का अधिकार-चाहे वह अपने जीवन की दिशा चुनने जितना महत्वपूर्ण हो या अपनी दिनचर्या की तरह सांसारिक-गरिमा के अधिकार का एक हिस्सा है। अगर महिलाओं को काम जारी रखने के लिए मजबूर किया जाता तो इस अधिकार पर हमला होता।

अवांछित गर्भधारण के साथ। [पैरा 110] [744-जी-एच; 745-ए]

14. नियम 3 बी के साथ पठित एम. टी. पी. अधिनियम की धारा 3 (2) (बी) का उद्देश्य बीस से बीस के बीच गर्भपात का प्रावधान करना है। चार सप्ताह, महिलाओं की भौतिक परिस्थितियों में बदलाव के कारण अवांछित हो गए। उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, अविवाहित या एकल महिलाओं (जो अपनी भौतिक परिस्थितियों में बदलाव का सामना करती हैं) को नियम 3 बी के दायरे से बाहर रखने का कोई तर्क नहीं है। नियम 3 बी की एक संकीर्ण व्याख्या, जो केवल विवाहित महिलाओं तक सीमित है, इस प्रावधान को अविवाहित महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला बना देगी। अनुच्छेद 14 राज्य से पहले किसी भी व्यक्ति को समानता से वंचित करने से बचने की अपेक्षा करता है।

कानून या कानूनों का समान संरक्षण। अविवाहित या एकल गर्भवती महिलाओं (जिनकी गर्भावस्था बीस और बीस के बीच है) को प्रतिबंधित करना।

चौबीस सप्ताह) इसी अवधि के दौरान विवाहित महिलाओं को गर्भपात कराने की अनुमति देने से अनुच्छेद 14 का मार्गदर्शन करने वाली भावना का उल्लंघन होगा। कानून को संकीर्ण पितृसत्तात्मक सिद्धांतों के आधार पर कानून के लाभार्थियों का फैसला नहीं करना चाहिए

इस बारे में कि "अनुमेय लिंग" क्या है, जो अपमानजनक वर्गीकरण बनाता है और उनके व्यक्तिगत आधार पर समूहों को बाहर करता है

परिस्थितियाँ। प्रजनन स्वायत्तता, गरिमा के अधिकार और

अनुच्छेद 21 के तहत गोपनीयता एक अविवाहित महिला को एक्स वी का अधिकार देती है।

पीआर। एसईसीवाई। , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग। , जीएनसीटी दिल्ली

एक विवाहित महिला के समान आधार पर बच्चा पैदा करना है या नहीं, इस पर चुनाव। [पैरा 121] [749-ई-जी; 750-ए]

15. राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रजनन और सुरक्षित यौन प्रथाओं के बारे में जानकारी आबादी के सभी हिस्सों में प्रसारित की जाए। इसके अलावा, यह देखना चाहिए कि समाज के सभी वर्ग अनपेक्षित गर्भधारण से बचने और अपने परिवार की योजना बनाने के लिए गर्भ निरोधकों का उपयोग करने में सक्षम हैं। चिकित्सा सुविधाएँ और आर. एम. पी. प्रत्येक जिले में मौजूद होनी चाहिए और सभी के लिए सस्ती होनी चाहिए। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आर. एम. पी. सभी रोगियों का समान और संवेदनशील तरीके से इलाज करें। किसी की जाति के आधार पर या अन्य सामाजिक या आर्थिक कारकों के कारण उपचार से इनकार नहीं किया जाना चाहिए। यह तभी कहा जा सकता है जब ये सिफारिशें वास्तविकता बन जाएं।

कि शारीरिक स्वायत्तता और गरिमा के अधिकार को प्राप्त करने में सक्षम हैं। [पैरा 134] [753-ई-एफ]

एस. खुशबू बनाम। कन्निम्मल, (2010) 5 एस. सी. सी. 600: [2010] 5 एस. सी. आर. 322; श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ, (2015) 5 एस. सी. सी. 1; नवतेज सिंह जौहर बनाम। भारत संघ (2018) 10 एससीसी 1: [2018] 7 एस. सी. आर. 379; XYZ v. की स्थिति

(2000) 4 एससीसी 110: [2000] 2 एस. सी. आर. 515; हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम कैलाश चंद महाजन, (1992) 2 पूरक। एससीसी 351: [1992] 1 एस. सी. आर. 917; भारत संघ बनाम। एल्फिंस्टन स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी लिमिटेड, (2001) 4 एससीसी 139: [2001] 1 एस. सी. आर. 221; कनैलाल सूर बनाम। परमनिधि साधु खान एयर 1957 एससी 907:

एससीआर 360; कांता गोयल बनाम। बी. पी. पाठक, [1977] 3 एस. सी. आर. 412; केदारनाथ जूट विनिर्माण कंपनी। वाणिज्यिक कर अधिकारी, आकाशवाणी 1966 एससी 12: [1965] एस. सी. आर. 626; भारत संघ बनाम तुलसीराम पटेल (1986) 3 एस. सी. सी. 398; एम. एल. कामरा बनाम अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड (1992) 1 एस. सी. आर. 220; सेंट जॉन्स शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान बनाम। क्षेत्रीय निदेशक राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (2003) 3 एस. सी. सी. 321: [2003] 1 एस. सी. आर. 975; भारत संघ बनाम। संकलचंद हिमतलाल सेठ, (1977) 4 एस. सी. सी. 193: [1978] 1 एस. सी. आर. 423; भारतीय रिजर्व बैंक बनाम। पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट

कं. लिमिटेड, (1987) 1 एस. सी. सी. 424: [1987] 2 एस. सी. आर. 1; हेडन का मामला (1584) 3 सह प्रतिनिधि 7 ए; बंगाल प्रतिरक्षा कंपनी v. बिहार राज्य (1955) 2 एससीआर 603; केहर सिंह बनाम। राज्य (दिल्ली प्रशासन), (1988) 3 एससीसी 609: [1988] 2 पूरक। एस. सी. आर. 24; केरल मछुआरा कल्याण कोष बोर्ड बनाम। फैंसी फूड,

(1995) 4 एससीसी 341: [1995] 3 एससीआर 785; भरत सिंह बनाम। नई दिल्ली तपेदिक केंद्र, नई दिल्ली का प्रबंधन

दिल्ली, (1986) 2 एससीसी 614: [1986] 2 एससीआर 169; बॉम्बे आनंद भवन रेस्तरां बनाम। ई. एस. आई. निगम। , (2009) 9 एस. सी. सी. 61 [2009] 13 एस. सी. आर. 1139; भारत संघ बनाम।

भारत, (2019) 5 एससीसी 480 [2019] 6 एससीआर 307; बादशाह बनाम। उर्मिला बादशाह गोडसे, (2014) 1 एससीसी 188: [2013] 10 एससीआर 259; नवतेज सिंह जौहर बनाम। भारत संघ, (2018) 10 एससीसी 1: [2018] 7 एस. सी. आर. 379; एस. खुशबू बनाम कन्निम्मल (2010) 5 एस. सी. सी. 600 [2010] 5 एस. सी. आर. 322; दीपिका सिंह बनाम। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1088; चिरनजीत लाल चौधरी बनाम। भारत संघ, [1950] एससीआर 869; ए. थंगल कुंजू मुसलियार बनाम। एम. वेंकटचलम पोट्टी, [1950] एससीआर 869; हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम। कैलाश चंद महाजन, (1992) 2 पूरक एस. सी. सी. 351: [1992] 1 एस. सी. आर. 917; राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम। स्वर्ण सिंह (2004) 3 एस. सी. सी. 297: [2004] 1 एस. सी. आर. 180; बालासिनोर नागरिक सहकारी पी. आर.

एसईसीवाई। , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग। , जी दिल्ली

एससीसी 606: 1987 (1) जे. टी. 462; मदनलाल फकीरचंद बनाम। श्री चांगदेव शुगर मिल्स लिमिटेड, [1962] 3 सप्लीमेंट। एससीआर 973; एक्स वी। भारत संघ, (2017) 3 एस. सी. सी. 458: [2017] 1 एससीआर 687; ममता वर्मा बनाम। भारत संघ, (2018) 14 एस. सी. सी. 289; मीरा संतोष पाल बनाम। भारत संघ, (2017) 3 एससीसी 462 [2017] 1 एससीआर 261; शर्मिष्ठा

चक्रवर्ती वी। भारत संघ, (2018) 13 एस. सी. सी. 339; ए. वी. भारत संघ, (2018) 14 एस. सी. सी. 75; तपस्य उमेश पिसल बनाम। भारत संघ, (2018) 12 एस. सी. सी. 57; X v. संघ भारत का, (2020) 19 एस. सी. सी. 806; जेड वी. बिहार राज्य, (2018)

11 एस. सी. सी. 572 [2017] 8 एस. सी. आर. 212; उच्च न्यायालय ने अपने

ओन मोशन वी। महाराष्ट्र राज्य 2016 एससीसी ऑनलाइन

बम 8426; XYZ v. महाराष्ट्र राज्य, निर्णय

2021 के डब्ल्यूपी (एल) 21977 में दिनांक 6 अक्टूबर 2021

(बॉम्बे उच्च न्यायालय); X v. भारत संघ, 2017 एससीसी

ऑनलाइन बम 9334; सिद्धि विश्वनाथ शेलर बनाम। राज्य

महाराष्ट्र, 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 11672; सिदरा

महबूब शेख बनाम। महाराष्ट्र राज्य, 2021 एससीसी

ऑनलाइन बम 1839; के एस पुट्टास्वामी बनाम। भारत संघ,

(2017) 10 एससीसी 1: [2017] 10 एससीआर 569; सुचिता

श्रीवास्तव बनाम। चंडीगढ़ प्रशासन (2009) 9 एस. सी. सी. 1: [2009] 13 एससीआर 989; सामान्य कारण v. भारत संघ, (2018) 5 एस. सी. सी. 1: [2018] 6 एस. सी. आर. 1; केशवानंद भारती बनाम. केरल राज्य (1973) 4 एससीसी 225: [1973] पूरक। एस. सी. आर. 1; फ्रांसिस कोरली मुलिन बनाम। प्रशासक, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, (1981) 1 एससीसी 608: [1981] 2

एस. सी. आर. 516; स्वतंत्र विचार v. भारत संघ, (2017) 10 एससीसी 800: [2017] 13 एससीआर 821; सीआईटी बनाम। एस.

तेजा सिंह, ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 352 [1959] पूरक। एससीआर

394 ; एम. पेंटिया बनाम। वीरमल्लप्पा मुद्दल, [1961] 2

एस. सी. आर. 295; तिनसुकिया विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड v. असम राज्य, (1989) 3 एससीसी 709: [1989] 2 एससीआर 544; के. पी. वर्गीज बनाम आई. टी. ओ. (1981) 4 एस. सी. सी. 173 [1982] 1 एस. सी. आर. 629; एम. एल. कामरा बनाम अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक,

न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड, [1992] 1 एस. सी. आर. 220;

एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ [1959] एससीआर

12 : ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 578; गीता हरिहरन बनाम। रिजर्व करें

बैंक ऑफ इंडिया (1999) 2 एस. सी. सी. 228: [1999] 1 एससीआर 669; [2022] 7 एस।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज v. भारत संघ,

(1997) 3 एससीसी 433: [1997] 1 एस. सी. आर. 923; देविका विश्वास

वी. भारत संघ, (2016) 10 एस. सी. सी. 726; पश्चिम बंगा

खेत मजदूर समिति बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य (1996) 4

एससीसी 37: [1996] 2 पूरक। एस. सी. आर. 331-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2010] 5 एससीआर 322

संदर्भित किया गया है

पैरा

20

[2018] 7 एससीआर 379

पैरा

21

संदर्भित किया गया है

[2017] 8 एससीआर 212

संदर्भित किया गया है

पैरा

25

[2000] 2 एससीआर 515

पैरा

27

संदर्भित किया गया है

[1992] 1 एससीआर 917

संदर्भित किया गया है

पैरा

31

[2001] 1 एससीआर 221

पैरा

31

संदर्भित किया गया है

[1958] एससीआर 360

संदर्भित किया गया है

पैरा

31

[1977] 3 एससीआर 412

संदर्भित किया गया है

पैरा

31

[1965] एससीआर 626

संदर्भित किया गया है

पैरा

32

[1992] 1 एससीआर 220

संदर्भित किया गया है

पैरा

32

[2003] 1 एससीआर 975

पैरा

32

संदर्भित किया गया है

[1978] 1 एससीआर 423

पैरा

33

संदर्भित किया गया है

[1987] 2 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा

33

[1955] 2 एससीआर 603

संदर्भित किया गया है

पैरा

35

[1988] 2 पूरक। एससीआर 24

संदर्भित किया गया है

पैरा

35

[1995] 3 एससीआर 785

पैरा

36

संदर्भित किया गया है

[1986] 2 एससीआर 169

पैरा

36

संदर्भित किया गया है

[2009] 13 एससीआर 1139

संदर्भित किया गया है

पैरा

36

[2008] 7 एससीआर 673

पैरा

36

संदर्भित किया गया है

[1996] 3 पूरक। एससीआर 439

संदर्भित किया गया है

पैरा

37

[2019] 14 एससीआर 928

पैरा

37

संदर्भित किया गया है

[2019] 6 एससीआर 307

संदर्भित किया गया है

पैरा

38

[2013] 10 एससीआर 259

संदर्भित किया गया है

पैरा 39 मिली वेलफ़ेयर विभाग। , जीएनसीटी 69 एलएचआई

संदर्भित किया गया है

पैरा 40

ए.

पैरा 41

संदर्भित किया गया है संदर्भित किया गया है

पैरा 49

संदर्भित किया गया है

पैरा 49

बी.

संदर्भित किया गया है

पैरा 49

पैरा 60

संदर्भित किया गया है

संदर्भित किया गया है

पैरा 62

पैरा 62

संदर्भित किया गया है

सी.

पैरा 63

संदर्भित किया गया है संदर्भित किया गया है

पैरा 100

संदर्भित किया गया है

पैरा 101

पैरा 104

संदर्भित किया गया है

डी.

पैरा 111

संदर्भित किया गया है

संदर्भित किया गया है

पैरा 112

संदर्भित किया गया है

पैरा 115

पैरा 117

संदर्भित किया गया है

ई.

पैरा 117

संदर्भित किया गया है संदर्भित किया गया है

पैरा 117

संदर्भित किया गया है

पैरा 117

संदर्भित किया गया है

पैरा 117

एफ.

पैरा 119

संदर्भित किया गया है संदर्भित किया गया है

पैरा 120

पैरा 123

संदर्भित किया गया है संदर्भित किया गया है

पैरा 133

जी.

विभाजनः सिविल अपील सं. 5802 - डब्ल्यू. पी. में 2022 के उच्च न्यायालय के कथन No.30708 का दिनांक <आई. डी. 2.

एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

डॉ. अमित मिश्रा, राहुल शर्मा, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

सुश्री ऐश्वर्या भाटी, एएसजी, सुश्री अमेयविक्रमा थानवी,

मनीषा चावा, सुश्री शिवानी, सुश्री शिविका मेहरा, अमन शर्मा,

एन्ड्रा सिंह, सुश्री चित्रांगदा राष्ट्रवारा, नितिन पावुलुरी, अभिजीत

, सुश्री शगुन ठाकुर, सुश्री पूर्णिमा सिंह, गुरमीत सिंह मक्कर,

आकांक्षा कौल, सुश्री प्रीति रानी, सुश्री रुचि कोहली, केतन पॉल,

खुराना, एड. उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

सामग्री की तालिका

ए. पृष्ठभूमि।

4

7

B. प्रस्तुतियाँ

ग. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट 1971 और

..... 9

इसके तहत बनाए गए नियम।

D. सुरक्षित और कानूनी गर्भपात तक पहुँचने में बाधाएँ। 16

आई. आर. एम. पी. का अभियोजन का डर।

16

.....

ii. अविवाहित महिलाओं के बारे में सामाजिक कलंक। 20

ई. विश्लेषण।

22

आई. उद्देश्यपूर्ण व्याख्या का नियम। 22

ii. एक के रूप में विवाह की संस्था को पार करना

अधिकारों का स्रोत।

.....

. 27

ए। पारिवारिक संबंधों के आधुनिक या असामान्य रूप।

बी। विवाहित और अविवाहित की समान स्थिति या

एकल महिलाएँ।

.

..... 30

iii. एम. टी. पी. अधिनियम का उद्देश्य और उद्देश्य।

iv. व्याख्या की सहायता के रूप में एम. टी. पी. अधिनियमः

"मानसिक स्वास्थ्य के लिए चोट" को समझना।

... ..43

वी. नियम 3 बी का निर्माण।

एफ. पी. आर. व्याख्या को सक्रिय करने वाले संवैधानिक मूल्य।

एसईसीवाई। , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग। , जी. एन. सी. टी. दिल्ली [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

एम. टी. पी. अधिनियम और एम. टी. पी. नियम।

55

आई. प्रजनन स्वायत्तता का अधिकार

55

ii. गरिमा का अधिकार

... ..62

.....

जी. नियम 3 बी की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या आगे बढ़ती है

संवैधानिक जनादेश।

..

.... 66

एच. अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत भारत के दायित्व। 69

I. राज्य के सकारात्मक दायित्वों को दोहराना। 72

ए. पृष्ठभूमि

1. छुट्टी दे दी गई।

2. यह अपील 15 जुलाई 2022 के दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के फैसले से उत्पन्न होती है। अपीलार्थी ने 15 जुलाई को चौबीस सप्ताह पूरे होने से पहले शासन समाप्त करने की अनुमति मांगने के लिए उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया और अन्य सहायक राहतों की मांग की गई। संदर्भ की सुविधा के लिए,

उच्च न्यायालय के समक्ष दावा किए गए लिफाफे नीचे दिए गए हैं:

" उ. याचिकाकर्ता को उसकी चल रही गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दें।

15.07.2022 से पहले किसी भी अनुमोदित निजी या सरकारी केंद्र या अस्पताल में पंजीकृत चिकित्सा चिकित्सकों के माध्यम से क्योंकि उसके बाद उसकी राहत निष्फल होगी क्योंकि गर्भावस्था लगभग होगी।

24 उस समय तक सप्ताह;

बी. प्रतिवादी को सरकारी एन. सी. टी. द्वारा पंजीकृत किसी भी अनुमोदित निजी केंद्र या अस्पताल में याचिकाकर्ता या किसी भी पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई या आपराधिक कार्यवाही करने से रोकें।

दिल्ली से;

ग. प्रत्यर्थी को उप-धारा (2) की धारा 3 के खंड (बी) के तहत गर्भावस्था की समाप्ति के लिए अविवाहित महिला को भी चिकित्सा गर्भपात नियम 2003 (21.10.2021 पर संशोधित) के नियम 3 बी के दायरे में शामिल करने का निर्देश दें।

डी. पाठ्यक्रम के दौरान तत्काल अंतरिम राहत का आदेश दें

कार्यवा

ही की "[2022] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3. अपीलार्थी एक भारतीय नागरिक और मणिपुर का स्थायी निवासी है। वह वर्तमान में नई दिल्ली में रह रही हैं। अपीलार्थी ने कहा

कि वह पाँच भाई-बहनों में सबसे बड़ी है और उसके माता-पिता कृषक हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका की स्थापना के समय, 1 अपीलार्थी बीस-दो सप्ताह की गर्भावस्था की आयु के अनुरूप एकल अंतर्गर्भाशयी गर्भधारण कर रहा था। अपीलार्थी एक अविवाहित महिला है जिसकी आयु लगभग पच्चीस वर्ष है।

और सहमति के संबंध के परिणामस्वरूप गर्भवती हो गई थी। अपीलार्थी उसकी गर्भावस्था को समाप्त करना चाहता था क्योंकि "उसके साथी ने अंतिम चरण में उससे शादी करने से इनकार कर दिया था।" उसने कहा कि वह गर्भावस्था को अवधि तक नहीं ले जाना चाहती थी क्योंकि वह "सामाजिक कलंक और अपमान" से सावधान थी। उत्पीड़न "अविवाहित एकल माता-पिता, विशेष रूप से महिलाओं से संबंधित है।

4. अपीलार्थी ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट 19712 की धारा 3 (2) (बी) और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी रूल्स 2003 3 (12 अक्टूबर 2021 को संशोधित) के नियम 3 बी (सी) के संदर्भ में अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति मांगी। अपीलार्थी ने रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए अंतरिम राहत देने के लिए एक आपराधिक विविध आवेदन की स्थापना की। 5. 15 जुलाई 2022 के अपने आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने केवल रिट याचिका की प्रार्थना सी तक सीमित नोटिस जारी किया, और आपराधिक विविध आवेदन को खारिज कर दिया, प्रार्थना ए और बी को प्रभावी रूप से खारिज कर दिया।

वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है क्योंकि अपीलार्थी एक अविवाहित महिला है, जिसकी गर्भावस्था सहमति से हुई है।

संबंध, के नियम 3 बी के किसी भी उपखंड द्वारा कवर नहीं किया गया था एम. टी. पी. नियम। उच्च न्यायालय ने कहा किः

" 8. याचिकाकर्ता, जो एक अविवाहित महिला है और जिसकी गर्भावस्था सहमति के संबंध से उत्पन्न होती है, स्पष्ट रूप से चिकित्सा समाप्ति के तहत किसी भी खंड द्वारा कवर नहीं की जाती है।

1 डब्ल्यूपी (सी) 10602/2022

2 " एम. टी. पी. अधिनियम " 3 " एम. टी. पी. नियम "

4 सीएम आवेदन 30708/2022 पीआर।

एसईसीवाई। , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग। , जी. एन. सी. टी. दिल्ली [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

गर्भावस्था नियम, 2003। अतः अधिनियम की धारा 3 (2) (बी) इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होती है।

9. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का कहना है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी रूल्स, 2003 का नियम 3 बी का उल्लंघन करता है।

भारत के संविधान, 1950 का अनुच्छेद 14, जिसमें एक अविवाहित महिला को शामिल नहीं किया गया है। ऐसा नियम वैध है या नहीं, यह केवल उक्त नियम के अधिकार से बाहर होने के बाद ही तय किया जा सकता है, जिसके लिए रिट याचिका में नोटिस जारी किया जाना है और

इस न्यायालय द्वारा ऐसा किया गया।

10. आज तक, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी रूल्स, 2003 का नियम 3 बी बना हुआ है, और यह न्यायालय, भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, नहीं जा सकता है।

क़ानून से परे। अब अंतरिम राहत देने के बराबर होगा

स्वयं रिट याचिका को अनुमति देना "। 6. उच्च न्यायालय के आदेश ने वर्तमान अपील को जन्म दिया।

ई 21 2022 को अपील करने के लिए विशेष अनुमति याचिका पर जारी किया गया था। इस न्यायालय ने 21 जुलाई 2022 के अपने आदेश द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश को संशोधित किया और अपीलार्थी को अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी।

न्यायालय ने निम्नलिखित विज्ञापन अंतरिम आदेश पारित कियाः

" 22. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, हम निम्नलिखित विज्ञापन अंतरिम पारित करते हैं

आदेशः

(i) हम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक से अनुरोध करते हैं

विज्ञान, दिल्ली 22 जुलाई 2022 के दौरान, इस आदेश के पहले भाग में निकाले गए अधिनियम की धारा 3 (2 डी) के प्रावधानों के संदर्भ में एक चिकित्सा बोर्ड का गठन करेगा; और (ii) यदि चिकित्सा बोर्ड यह निष्कर्ष निकालता है कि भ्रूण को जन्म दिया जा सकता है।

याचिकाकर्ता के जीवन को खतरे के बिना गर्भपात, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में डॉक्टरों की एक टीम करेगा

याचिका छोड़ें और याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुतियों के दौरान। ऐसा करने से पहले याचिकाकर्ता की इच्छाओं का फिर से पता लगाया जाएगा। और पहचान के उचित सत्यापन के बाद प्राप्त उसकी लिखित सहमति।

7. याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के वकील ने कहा कि

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान [2022] 7 एस. सी. आर. में कैल बोर्ड का गठन किया गया था।

विज्ञान. 5 बोर्ड ने नोट किया कि याचिकाकर्ता ने उसकी गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए सहमति दी थी और प्रक्रिया उसके जीवन को खतरे के बिना की जा सकती थी। एम्स द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि गर्भावस्था की समाप्ति सुरक्षित रूप से की गई थी।

8. चूंकि इस मामले में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, इसलिए इस न्यायालय ने इसे आगे के विचार के लिए लिया है। के समक्ष रिट याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय को इस न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इस अपील में निर्धारण के लिए जो महत्वपूर्ण मुद्दा सामने आता है, वह एम. टी. पी. नियमों के नियम 3 बी की व्याख्या पर निर्भर करता है।

B. प्रस्तुतियाँ

9. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील डॉ. अमित मिश्रा ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दीं:

ए। अपीलार्थी एक अविवाहित महिला थी जिसके साथी ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था। वह गर्भावस्था जारी नहीं रखना चाहती थी और बच्चे को शादी से बाहर रखना चाहती थी क्योंकि उसकी कमी थी।

ऐसा करने के लिए वित्तीय संसाधन। वह नौकरी नहीं करती थी और उसके माता-पिता किसान थे।

बी। वह अकेले बच्चे की परवरिश करने के लिए मानसिक रूप से भी तैयार नहीं थी। यदि उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो यह उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर चोट पहुंचाएगा। अपीलार्थी तैयार नहीं था

अविवाहित माताओं के आसपास के सामाजिक कलंक का सामना करना; और

सी। एमटीपी अधिनियम की धारा 3 (2) (बी) और एमटीपी का नियम 3 बी

नियम मनमाने और भेदभावपूर्ण होते हैं क्योंकि वे अविवाहित महिलाओं को उनके दायरे से बाहर करते हैं। वे अनुच्छेद का उल्लंघन करते हुए वैवाहिक स्थिति के आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं

14 संविधान से।

10. सुश्री ऐश्वर्या भाटी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने इस न्यायालय की व्याख्या में कुशलता से सहायता की है।

एम. टी. पी. अधिनियम की धारा 3 (2) और एम. टी. पी. नियमों के नियम 3 बी (सी)। उन्होंने इस तर्क के समर्थन में निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दीं कि नियम 3 बी (सी) अविवाहित या एकल महिलाओं के लिए है जो दीर्घकालिक हैं। संबंध:

ए। विधान की व्याख्या किसी कानून के पाठ और संदर्भ के साथ-साथ उस उद्देश्य से निर्देशित होनी चाहिए जिसे वह प्राप्त करना चाहता है।

5 " एम्स का पीआर।

एसईसीवाई। , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग। , जी. एन. सी. टी. दिल्ली [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

किसी कानून के उद्देश्यों और कारणों के विवरण को भी इसकी व्याख्या का मार्गदर्शन करना चाहिए।

बी। अधिनियमन के समय से समाज के विकास को ध्यान में रखते हुए आधुनिक विधानों को पढ़ा जाना चाहिए। लाभकारी विधानों के शाब्दिक निर्माण से बचा जाना चाहिए, और उन्हें एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या दी जानी चाहिए। सी। एक अधीनस्थ विधान को उस क़ानून को प्रभावी बनाना चाहिए जो वह है

के तहत अधिनियमित। यदि दो निर्माण संभव हैं, तो वैधानिक योजना के अनुरूप व्याख्या की जानी चाहिए

स्वीकार करने के लिए;

डी। नियम 3 बी (सी) में "वैवाहिक स्थिति में परिवर्तन" शब्द की व्याख्या "रिश्ते की स्थिति में परिवर्तन" के रूप में की जानी चाहिए।

अविवाहित या एकल महिलाओं के साथ-साथ ऐसी महिलाएं जो नहीं हैं

तलाकशुदा हैं लेकिन अलग हो गए हैं या परित्यक्त हो गए हैं;

ई. “ लिव-इन रिलेशनशिप "वैवाहिक संबंधों के बराबर हैं क्योंकि दोनों प्रकार के संबंधों में महिला भरण-पोषण की हकदार होती है। इसके अलावा, इस तरह के रिश्ते से पैदा हुए बच्चों को उत्तराधिकार का अधिकार दिया जाता है। एम. टी. पी. अधिनियम सहित विभिन्न राष्ट्रीय कानून विवाहित महिलाओं और अविवाहित या अविवाहित महिलाओं के बीच अंतर नहीं करते हैं।

महिलाएँ; और

एफ. महिलाओं को शारीरिक अखंडता और स्वायत्तता का अधिकार प्राप्त है, क्योंकि

साथ ही प्रजनन अधिकार भी। वे निर्णयात्मक स्वायत्तता का प्रयोग करने के हकदार हैं।

ग. चिकित्सा गर्भपात अधिनियम 1971 और

इसके तहत बनाए गए नियम

11. इससे पहले कि हम कानून और उसके बारे में चर्चा शुरू करें

इसलिए, यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि हम इस में "महिला" शब्द का उपयोग सी. आई. एस.-लिंग महिलाओं के अलावा अन्य व्यक्तियों को शामिल करने के रूप में करते हैं जो अपनी गर्भावस्था की सुरक्षित चिकित्सा समाप्ति तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं।12. भारत में, गर्भपात एम. टी. पी. अधिनियम के तहत सख्ती से किया जाना है। एम. टी. पी. अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया है कि यह पंजीकृत चिकित्सक द्वारा कुछ गर्भधारण की समाप्ति और उससे जुड़े या आकस्मिक मामलों के लिए एक प्रावधान है। एम. टी. पी. अधिनियम [2022] 7 एस. सी. आर. के लिए पूरी की जाने वाली आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करता है।

गर्भावस्था को जन्म देना, जिसमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं जो सक्षम हैं

समाप्ति प्रक्रिया, परिस्थितियाँ जब गर्भपात होता है

जारी करने योग्य, और वे स्थान जहाँ प्रक्रिया की जा सकती है।

13. एम. टी. पी. अधिनियम की धारा 3, जैसा कि चिकित्सा द्वारा संशोधित किया गया है

गर्भावस्था (संशोधन) अधिनियम 2021 (2021 का 8), 6 में प्रावधान है कि मुर्गी की गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता हैः

" धारा 3-कब गर्भावस्था को पंजीकृत द्वारा समाप्त किया जा सकता है

चिकित्साकर्मियों

(1) भारतीय दंड संहिता में कुछ भी निहित होने के बावजूद

(45 1860 का), एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी उस संहिता के तहत या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत किसी भी अपराध का दोषी नहीं होगा, यदि उसके द्वारा किसी भी गर्भावस्था को समाप्त कर दिया जाता है।

इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार।

2 [(2) उप-धारा (4) के प्रावधानों के अधीन, गर्भावस्था

पंजीकृत चिकित्सक द्वारा समाप्त किया जा सकता है,

(क) जहाँ गर्भावस्था की अवधि बीस सप्ताह से अधिक नहीं है, यदि ऐसा चिकित्सक है, या

(ख) जहां गर्भावस्था की अवधि बीस सप्ताह से अधिक है, लेकिन इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित महिला की ऐसी श्रेणी के मामले में चौबीस सप्ताह से अधिक नहीं है, यदि नहीं

दो से कम पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायियों की राय है,

अच्छे विश्वास में बनाया गया, कि

(i) गर्भावस्था के जारी रहने से गर्भवती महिला के जीवन को खतरा होगा या उसके शरीर या शरीर को गंभीर चोट लग सकती है।

मानसिक स्वास्थ्य; या ((ii) इस बात का पर्याप्त जोखिम है कि यदि बच्चा पैदा हुआ था, तो वह किसी गंभीर शारीरिक या मानसिक असामान्यता से पीड़ित होगा।

स्पष्टीकरण 1. खंड (क) के प्रयोजनों के लिए, जहां कोई

किसी भी महिला या उसके साथी द्वारा बच्चों की संख्या को सीमित करने या गर्भावस्था को रोकने के उद्देश्य से उपयोग किया जाता है, ऐसी गर्भावस्था के कारण होने वाली पीड़ा को गंभीर चोट माना जा सकता है। गर्भवती महिला के मानसिक स्वास्थ्य पर।

पी संशोधन अधिनियम 2021 "पीआर।

एसईसीवाई। , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग। , जी. एन. सी. टी. दिल्ली [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

स्पष्टीकरण 2. — खंड (ए) और (बी) के प्रयोजनों के लिए, जहां गर्भवती महिला द्वारा किसी भी गर्भावस्था का आरोप लगाया जाता है

बलात्कार के कारण, गर्भावस्था के कारण होने वाली पीड़ा को व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर चोट माना जाएगा। गर्भवती महिला।

(2ए) पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के लिए मानदंड जिनकी राय अलग-अलग स्थितियों में गर्भावस्था की समाप्ति के लिए आवश्यक है।

गर्भावस्था चिकित्सा व्यवसायी द्वारा गर्भावस्था की समाप्ति पर लागू नहीं होगी जहां इस तरह की समाप्ति आवश्यक है मेडिकल बोर्ड द्वारा निदान की गई भ्रूण की किसी भी महत्वपूर्ण असामान्यता का निदान।

(2ग) प्रत्येक राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश, जैसा भी मामला हो, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक चिकित्सा बोर्ड कहे जाने वाले बोर्ड का गठन करेगा।

इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित ऐसी शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करें।

(2(घ) चिकित्सा बोर्ड में निम्नलिखित शामिल होंगे, अर्थात्: (क) स्त्री रोग विशेषज्ञ;

(ख) एक बाल रोग विशेषज्ञ; (ग) रेडियोलॉजिस्ट या सोनोलॉजिस्ट; और

(घ) सदस्यों की ऐसी अन्य संख्या जो राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित की जाए।

स्वास्थ्य के लिए चोट का ऐसा जोखिम शामिल है जैसा कि उप-धारा (2) में उल्लिखित है, गर्भवती महिला के वास्तविक या यथोचित रूप से पूर्वानुमेय वातावरण को ध्यान में रखा जा सकता है। (4) (क) किसी महिला की गर्भावस्था नहीं, जिसकी उम्र नहीं हुई हो।

अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने वाली, या जो अठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर चुकी है, मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है, उसे उसके अभिभावक की लिखित सहमति के अलावा समाप्त कर दिया जाएगा।

(ख) खंड (क) में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, गर्भवती महिला की सहमति के अलावा किसी भी गर्भावस्था को समाप्त नहीं किया जाएगा।

14. धारा 3 में प्रावधान है कि पंजीकृत चिकित्सक भारतीय दंड संहिता के तहत कोई अपराध करने के लिए दोषी नहीं होंगे।

18608 या कुछ समय के लिए लागू किसी अन्य कानून के तहत यदि वे एम. टी. पी. अधिनियम के अनुसार गर्भपात करते हैं। धारा 3 की उप-धारा (4) में कहा गया है कि गर्भावस्था को गर्भपात के बिना समाप्त नहीं किया जाएगा। गर्भवती महिला की सहमति, 9 और यदि महिला 18 वर्ष से कम उम्र की है या मानसिक रूप से बीमार है, तो अपने अभिभावक की सहमति से। धारा 3 की उप-धारा (4) में निहित आवश्यकता के अधीन, धारा 3 की उप-धारा (2) में प्रावधान है कि किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है।

उसमें निर्धारित शर्तों के अधीन चिकित्सा व्यवसायी। गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है जहां वे बीस से अधिक न हों।

सप्ताह 1 1 और महिलाओं की कुछ श्रेणियों के लिए जहां वे चौबीस सप्ताह से अधिक नहीं हैं। 1 2 एम. टी. पी. अधिनियम की धारा 3 (2) (ए) गर्भावस्था की समाप्ति की अनुमति देती है जहां गर्भावस्था की अवधि बीस सप्ताह से अधिक नहीं होती है। एम. टी. पी. अधिनियम की धारा 3 (2) (बी) गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देती है, जहां गर्भावस्था की अवधि बीस के बीच है। और चौबीस सप्ताह, महिलाओं की ऐसी श्रेणियों के लिए जो नियमों द्वारा निर्धारित की जाए। धारा 3 के तहत इन गर्भधारण को समाप्त किया जा सकता है यदि विचाराधीन चिकित्सा व्यवसायी (या बीस से चौबीस सप्ताह के बीच गर्भधारण के मामले में, कम से कम दो पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी) की अच्छी राय है किः

ए। गर्भावस्था के जारी रहने से गर्भवती हो जाएगी

महिला का जीवन खतरे में (धारा 3 (2) (i));

बी। गर्भावस्था के जारी रहने से गर्भवती महिला के शारीरिक स्वास्थ्य को गंभीर खतरा होगा (धारा 3 (2) (i));

सी। गर्भावस्था के जारी रहने से गर्भवती महिला के मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर खतरा होगा (धारा 3 (2) (i)); या

डी। यदि बच्चा पैदा होता है तो गंभीर शारीरिक या मानसिक असामान्यता से पीड़ित होने का पर्याप्त जोखिम है (अनुभाग

3 (2) ((ख)।

8 " आई. पी. सी " 9 धारा 3 (4) (बी), एम. टी. पी. अधिनियम

1 1 धारा 3 (2) (ए), एम. टी. पी. अधिनियम

12 धारा 3 (3) (बी), एम. टी. पी. अधिनियम X v.

पीआर। एसईसीवाई। , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग। , जी. एन. सी. टी. दिल्ली [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

यह निर्धारित करने में कि क्या गर्भावस्था की निरंतरता होगी

गर्भवती महिला के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है, उसके वास्तविक या यथोचित रूप से पूर्वानुमेय वातावरण को ध्यान में रखा जा सकता है। 1 3 हमारी राय है कि प्रत्येक महिला के स्वयं के अनुमान पर महत्वपूर्ण निर्भरता रखी जानी चाहिए कि क्या वह अपनी गर्भावस्था को जारी रखने और बनाए रखने की स्थिति में है।

15. धारा 3 (2) के स्पष्टीकरण दो कानूनी अनुमानों के लिए प्रदान करते हैं जो दर्शाते हैं कि गर्भवती महिला के मानसिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर चोट क्या है। स्पष्टीकरण 1 में कहा गया है कि गर्भावस्था जो किसी महिला या उसके साथी द्वारा बच्चों की संख्या को सीमित करने या गर्भावस्था को रोकने के लिए उपयोग किए जाने वाले गर्भनिरोधक उपकरण या विधि की विफलता के कारण होती है, उसे मानसिक रूप से गंभीर चोट माना जाएगा।

गर्भवती महिला का स्वास्थ्य, यदि गर्भावस्था बीस सप्ताह से अधिक नहीं है। स्पष्टीकरण 2 में इसी तरह की कानूनी धारणा का प्रावधान किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जहां कोई महिला आरोप लगाती है कि बलात्कार के परिणामस्वरूप गर्भावस्था हुई थी, तो गर्भावस्था के कारण होने वाली पीड़ा -

माना जाता है कि यह उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर चोट है। स्पष्टीकरण 2 में कानूनी अनुमान उन सभी गर्भधारणों पर लागू होता है जिनके पास है

चौबीस सप्ताह से अधिक नहीं। 16. गर्भावस्था को केवल सरकार द्वारा स्थापित या बनाए रखे गए अस्पताल, 14 1 4 या गर्भपात के लिए अनुमोदित किसी भी स्थान पर समाप्त किया जा सकता है।

एम. टी. पी. अधिनियम के उद्देश्य या तो सरकार द्वारा या धारा 4 (बी) के संदर्भ में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा। इसके अलावा, धारा 4 के प्रावधान और धारा 3 (2) के प्रावधान (जो गर्भावस्था की अवधि और कम से कम दो आर. एम. पी. की राय की आवश्यकता से संबंधित हैं) आर. एम. पी. द्वारा गर्भधारण की समाप्ति पर लागू नहीं होंगे, जहां आर. एम. पी. की सद्भावना से यह राय है कि गर्भवती महिला के जीवन को बचाने के लिए गर्भावस्था की समाप्ति तुरंत आवश्यक है। 1 5 एम. टी. पी. अधिनियम एक महिला की गोपनीयता की रक्षा करने का भी प्रयास करता है जिसने गर्भावस्था को समाप्त कर दिया है-कोई भी आर. एम. पी. जो ऐसी महिला के नाम या अन्य विवरणों का खुलासा करता है, उसे दंड दिया जाएगा।

कारावास जो एक वर्ष तक बढ़ सकता है, या जुर्माने या दोनों के साथ हो सकता है। 1 6 16 एम. टी. पी. अधिनियम केंद्र सरकार को इन नियमों को लागू करने की शक्ति देता है -

13 धारा 3 (3), एम. टी. पी. अधिनियम 14 धारा 4 (ए), एम. टी. पी. अधिनियम 15 धारा 5 (1), एम. टी. पी. अधिनियम 16 धारा 5 ए, एम. टी. पी. अधिनियम 7 एस. सी. आर.

इसके प्रावधानों का पालन करना और कुछ मामलों में विनियमों को लागू करने की शक्ति के साथ राज्य सरकारें। 18

गर्भधारण की समाप्तिः इनमें जिला स्तरीय समिति, 9 चिकित्सा बोर्ड, 20 आर. एम. पी., 21 और उस स्थान पर नियम शामिल हैं जहाँ गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है। 22 नियम 3 बी, हाल ही में संशोधित चिकित्सा गर्भपात (संशोधन) नियम 2021,23 वर्तमान चर्चा के उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक है। यह नियंत्रित करता है

धारा 3 की उप-धारा 2 के खंड (बी) के तहत महिलाओं की श्रेणियां जो यदि उनकी गर्भावस्था की अवधि बीस सप्ताह से अधिक है लेकिन चौबीस सप्ताह से अधिक नहीं है तो उनकी गर्भावस्था समाप्त हो सकती है। इसमें कहा गया हैः

" 3 - बी. बीस तक गर्भपात के लिए पात्र महिलाएँ

अधिनियम की उप-धारा (2) की धारा 3, बीस तक की अवधि के लिए चार सप्ताह, अर्थात्

(क) यौन उत्पीड़न या बलात्कार या अनाचार से बचे लोग;

(ग) चालू गर्भावस्था के दौरान वैवाहिक स्थिति में परिवर्तन (विधवा और तलाक);

(घ) शारीरिक रूप से अक्षम महिलाएँ [विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रमुख विकलांगता]

(49 2016 का)];

(ई) मानसिक मंदता सहित मानसिक रूप से बीमार महिलाएं;

(च) भ्रूण की विकृति जिसमें जीवन के साथ असंगत होने का पर्याप्त जोखिम है या यदि बच्चा पैदा होता है तो वह गंभीर रूप से विकलांग होने के लिए ऐसी शारीरिक या मानसिक असामान्यताओं से पीड़ित हो सकता है;

और

18 धारा 7 एम. टी. पी. अधिनियम 19 नियम 3, एम. टी. पी. नियम

21 नियम 4,4 ए, एम. टी. पी. नियम 22 नियम 5,6,7,8, एम. टी. पी. नियम 23 "एम. टी. पी. संशोधन नियम" X v.

पीआर। एसईसीवाई। , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग। , जी. एन. सी. टी. दिल्ली [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

(छ) सरकार द्वारा घोषित मानवीय स्थितियों या आपदा या आपातकालीन स्थितियों में गर्भवती महिलाएं। D.
सुरक्षित और कानूनी गर्भपात तक पहुँचने में बाधाएँ

18. एम. टी. पी. अधिनियम के लागू होने के बावजूद, कई बाधाएं हैं

महिलाओं को गुप्त, असुरक्षित गर्भपात का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करते हुए, सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की पूर्ण पहुंच को रोकना जारी रखें। इन बाधाओं में अपर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाएं, जागरूकता की कमी, सामाजिक कलंक और गोपनीय देखभाल सुनिश्चित करने में विफलता शामिल हैं। कुछ स्थितियों में, अविवाहित महिलाओं को विवाह के बाहर महिलाओं की यौन स्वायत्तता के बारे में लैंगिक रूढ़ियों के कारण विशेष बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ये बाधाएं एक गंभीर बाधा हैं और एकल महिलाओं को सुरक्षित और कानूनी गर्भपात कराने से रोकती हैं। इस तरह की बाधाएं गर्भपात सेवाओं तक पहुंचने में देरी या ऐसी सेवाओं से पूरी तरह से इनकार करने में योगदान कर सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं के प्रजनन स्वायत्तता के अधिकार को नकार दिया जा सकता है।

आई. आर. एम. पी. का अभियोजन का डर

19. यह न केवल ऊपर उल्लिखित कारक हैं जो सुरक्षित गर्भपात तक पहुंच में बाधा डालते हैं, बल्कि देश के आपराधिक कानूनों के तहत अभियोजन का डर भी है। वर्तमान कानूनी ढांचे के तहत, एम. टी. पी. अधिनियम केवल आई. पी. सी. की धारा 312 से 318 में गर्भपात को अपराध बनाने वाले प्रावधानों को अपवाद देता है। एम. टी. पी. अधिनियम की धारा 3 (1) एक अबाधित खंड के साथ शुरू होती है और यह निर्धारित करती है कि "भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी उस संहिता के तहत या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत किसी भी अपराध का दोषी नहीं होगा, यदि इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उसके द्वारा किसी भी गर्भावस्था को समाप्त कर दिया जाता है।" धारा 3 (1) के संदर्भ में, गर्भावस्था की समाप्ति आई. पी. सी. के तहत एक आपराधिक अपराध है।

जब तक कि यह एम. टी. पी. अधिनियम में निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करता है, जिसमें गर्भावस्था को कौन समाप्त कर सकता है, वह स्थान जहां गर्भपात हो सकता है, और विशिष्ट शर्तें जिनके अनुसार इस तरह की समाप्ति की अनुमति है। धारा 5 (2) में दंड का प्रावधान है जब किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा गर्भावस्था की समाप्ति की जाती है जो आर. एम. पी. नहीं है। धारा 5 (3) में दंड का प्रावधान है जब धारा 4 में उल्लिखित स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर गर्भावस्था की समाप्ति की जाती है। गर्भपात की मांग करने वाली आर. एम. पी. और महिलाओं को उपरोक्त उल्लिखित आई. पी. सी. के प्रावधानों के तहत किसी भी कानूनी कार्रवाई से तभी छूट दी जाती है जब ये शर्तें पूरी हो जाती हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

20. वर्तमान में, एम. टी. पी. अधिनियम के तहत, एक आर. एम. पी. की राय (

अधिनियम में निर्धारित प्रतिबंधों और आधारों के अनुसार) निर्णायक है। यह आर. एम. पी. (ओं) द्वारा बनाई गई राय के आधार पर है, या तो धारा 3 के तहत या धारा 5 के तहत, कि एक महिला एम. टी. पी. अधिनियम के तहत गर्भपात कर सकती है। यह एम. टी. पी. अधिनियम को प्रदाता केंद्रित कानून बनाता है। चूँकि गर्भपात तक पहुँचने का महिलाओं का अधिकार आर. एम. पी. द्वारा अनुमोदन पर सशर्त है, आर. एम. पी. द्वारा सेवाओं से इनकार महिलाओं को अदालतों का दरवाजा खटखटाने या असुरक्षित परिस्थितियों में गर्भपात कराने के लिए मजबूर करता है। 24 एक डर

आई. पी. सी. के साथ एम. टी. पी. अधिनियम को जोड़ने सहित कानूनों की इस जटिल भूलभुलैया के तहत अभियोजन, आर. एम. पी. के व्यवहार पर एक भयावह प्रभाव डालते हुए, सुरक्षित गर्भपात पहुँच के लिए एक प्रमुख बाधा के रूप में कार्य करता है। ठंडक प्रभाव

ऐतिहासिक रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संरक्षण से जुड़े और

अनुच्छेद 1925 के तहत अभिव्यक्ति-एम. टी. पी. अधिनियम के तहत कार्य करने वाले चिकित्सा पेशेवरों के निर्णय लेने पर प्रभाव डालती है और इसके परिणामस्वरूप सुरक्षित और कानूनी गर्भपात तक पहुंच और महिलाओं के प्रजनन स्वायत्तता के मौलिक अधिकार को साकार करने में बाधा आती है।

21. नवतेज सिंह जौहर बनाम। भारत संघ 26 एक संविधान

इस न्यायालय की पीठ ने कहा कि धारा 377 का व्यक्तियों की स्वतंत्रता के प्रयोग पर एक भयावह प्रभाव पड़ा है, जो लोगों के लिए एक गंभीर खतरा है। गरिमा और गोपनीयता के एक तत्व के रूप में किसी के यौन अभिविन्यास की निर्बाध पूर्ति। हममें से एक, डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे., ने एच. आई. वी./एड्स के प्रसार पर समलैंगिकता के अपराधीकरण के प्रभाव को पहचाना और बताया कि कैसे अभियोजन और कलंक के डर ने एच. आई. वी. रोकथाम सेवाओं तक पहुँचने में बाधाएं पैदा कीं। इस न्यायालय ने कहा किः

एच. आई. वी./एड्स की घटनाएँ। प्रमुख आबादी कलंकित है स्वास्थ्य प्रदाताओं, नियोक्ताओं और अन्य सेवा प्रदाताओं द्वारा ए के रूप में

परिणामस्वरूप, एच. आई. वी. की प्रभावी रोकथाम के लिए गंभीर बाधाएं मौजूद हैं

और भेदभाव और उत्पीड़न के रूप में उपचार एचआईवी और यौन स्वास्थ्य सेवाओं और रोकथाम कार्यक्रमों तक पहुंच में बाधा डाल सकता है।

22. हालांकि आर. एम. पी. के कार्यों के तहत सद्भावना से किया गया

एम. टी. पी. अधिनियम धारा 8, अपराधीकरण की आशंका के तहत संरक्षित है। 24 दीपिका जैन, गर्भपात के अपराधीकरण पर पुनर्विचार करने का समय आ गया है? लैंगिक न्याय दृष्टिकोण की दिशा में, 12 एन. यू. जे. एस. विधि समीक्षा 2 (2019)

25 एस. खुशबू बनाम। कन्निम्मल, (2010) 5 एस. सी. सी. 600; श्रेया सिंघल बनाम। भारत संघ, (2015) 5 एस. सी. सी. 1

26 (2018) 10 एस. सी. सी. 1 एक्स वी.

पीआर। एसईसीवाई। , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग। , जी. एन. सी. टी. दिल्ली [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

उन पर एक शीतल प्रभाव डालता है। दंडात्मक प्रावधानों के तहत अभियोजन के आर. एम. पी. द्वारा सामना किए जाने वाले डर से अक्सर अनावश्यक देरी होती है। आर. एम. पी. के लिए महिला के परिवार की सहमति, दस्तावेजी प्रमाण या न्यायिक प्राधिकरण जैसी अतिरिक्त कानूनी शर्तों के अनुपालन पर जोर देना एक आम लेकिन खेदजनक प्रथा है। 2 7 यदि महिला इन अतिरिक्त आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहती है, तो आर. एम. पी. अक्सर कानूनी गर्भपात कराने में अपनी सेवाएं प्रदान करने से इनकार कर देते हैं।

23. इन अतिरिक्त कानूनी आवश्यकताओं का कानून में कोई आधार नहीं है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यह केवल महिला की सहमति है (या उसके अभिभावक की सहमति है यदि वह है

एक नाबालिग या मानसिक रूप से बीमार) जो भौतिक है। आर. एम. पी. को कानून के अनुसार अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने की इच्छा रखने वाली महिलाओं पर अतिरिक्त कानूनी शर्तें लगाने से बचना चाहिए। उन्हें केवल यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि एम. टी. पी. अधिनियम (साथ के नियमों और विनियमों के साथ) के प्रावधानों का पालन किया जाए।

24. एम. टी. पी. संशोधन अधिनियम 2021 लागू होने से पहले,

उच्च न्यायालयों के समक्ष कई मामलों में याचिकाकर्ताओं ने गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति भी मांगी, जहां गर्भावस्था बीस सप्ताह से कम थी। 28 अपरिवर्तित एम. टी. पी. अधिनियम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बारह और बीस सप्ताह के बीच गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति थी जब दो आर. एम. पी. ने राय दी कि गर्भावस्था को समाप्त करने का अनुरोध धारा 3 (2) में उल्लिखित चार आधारों में से किसी एक को पूरा करता है। 29 इस प्रकार, बीस सप्ताह की कानूनी सीमा के भीतर मामलों को अदालतों में भेजने की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं थी। ये मामले महिलाओं द्वारा सुरक्षित और कानूनी गर्भपात तक पहुँचने में आने वाली बाधाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, भले ही उनकी गर्भावस्था को समाप्त करने के उनके निर्णय को कानून द्वारा अनुमति दी गई हो।

25. इस न्यायालय ने अनावश्यक देरी और अधिकारियों के व्यवहार में शीघ्रता की कमी के विनाशकारी प्रभावों को मान्यता दी है।

गर्भपात के साथ। जेड वी में। बिहार राज्य, 30 यह न्यायालय

27 प्रजनन अधिकार केंद्र, "20 सप्ताह के बाद गर्भपात के लिए महिलाओं और लड़कियों की आवश्यकता को संबोधित करने के लिए सुधार" (2018)

ओ पुलिस निरीक्षक, 2015 एस. सी. सी. ऑनलाइन मैड 7767 29 धारा 3 (2) (बी), एम. टी. पी. अधिनियम 1971 30 (2018) 11 एस. सी. सी. 572 [2022] 7 एस. सी. आर.

यह आधार कि वह बलात्कार की शिकार थी। इस अदालत ने कानून द्वारा अनुमति के अनुसार गर्भावस्था को समाप्त करने में विफल रहने में अधिकारियों की "लापरवाही और लापरवाही" की भी निंदा की। इसने नोट किया कि उच्च न्यायालय में कार्यवाही में अनुचित देरी हुई, जिससे ऐसी स्थिति पैदा हुई जहां विचाराधीन महिला के जीवन को खतरे में डाले बिना गर्भावस्था को समाप्त नहीं किया जा सकता था। याचिकाकर्ता (यानी गर्भवती महिला) को मुआवजा दिया गया था।

ii. अविवाहित महिलाओं के बारे में सामाजिक कलंक

महिलाएँ और पूर्व-वैवाहिक यौन संबंध, महिलाओं द्वारा मातृत्व की कमान संभालने के बारे में लैंगिक रूढ़िवादी धारणाएँ और समाज में महिलाओं की भूमिका। 27. एक व्यापक गलत धारणा के कारण कि अविवाहित महिलाओं की गर्भधारण की समाप्ति अवैध है, एक महिला और उसका साथी बिना लाइसेंस वाले चिकित्सा चिकित्सकों द्वारा गर्भपात का लाभ उठाने का सहारा ले सकते हैं।

इस तरह की चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित सुविधाएं नहीं हैं, जिससे जटिलताओं और मातृ मृत्यु दर का खतरा बढ़ जाता है। सुरेंद्र चौहान बनाम। मध्य प्रदेश राज्य, इस न्यायालय की 3 1 और 2-न्यायाधीशों की पीठ ने गर्भपात से महिला की मौत के लिए आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 314 के तहत आरोपी को दोषी ठहराने के मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। मामले के तथ्यों के अनुसार, आरोपी के मृतक बीस-चार साल की अविवाहित महिला के साथ "अवैध संबंध" थे। मृत महिला बन गई थी

इस रिश्ते के परिणामस्वरूप गर्भवती। उन दोनों ने लगभग 3 महीने (लगभग 12 सप्ताह) की गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए एक तथाकथित डॉक्टर (जिसे सह-आरोपी के रूप में नामित किया गया था) के क्लिनिक से संपर्क किया था। कथित डॉक्टर न तो आर. एम. पी. था और न ही एम. टी. पी. में निर्धारित आवश्यकताओं के संदर्भ में सरकार द्वारा उसके क्लिनिक को मंजूरी दी गई थी। एक्ट करें। गर्भपात की प्रक्रिया के दौरान महिला की मृत्यु हो गई। यह मामला अविवाहित महिलाओं में गर्भधारण के आसपास के सामाजिक कलंक के कारण असुरक्षित गर्भपात के खतरों का उदाहरण है।

31 (2000) 4 एस. सी. सी. 110 एक्स वी.

पीआर। एसईसीवाई। , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग। , जीएनसीटी

दिल्ली [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

28. वैवाहिक जीवन से पहले महिलाओं को जिस सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ता है

यौन संबंध उन्हें विभिन्न तरीकों से प्रजनन स्वास्थ्य के अपने अधिकार का एहसास करने से रोकते हैं। उनके पास अपर्याप्त या कोई पहुंच नहीं है

यौन स्वास्थ्य शिक्षा की कमी के कारण अपने स्वयं के शरीर के बारे में ज्ञान, गर्भ निरोधकों तक उनकी पहुंच सीमित है, और वे अक्सर स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से संपर्क करने और अपने प्रजनन स्वास्थ्य के संबंध में उनसे परामर्श करने में असमर्थ होते हैं। नतीजतन, अविवाहित और अविवाहित महिलाओं को अतिरिक्त बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

29. गर्भवती एकल महिलाओं के इर्द-गिर्द सामाजिक कलंक

यह और भी अधिक है और उन्हें अक्सर अपने परिवार या साथी से समर्थन की कमी होती है। इससे उन व्यक्तियों का प्रसार होता है जो चिकित्सा का अभ्यास करने के लिए योग्य/प्रमाणित नहीं हैं। ऐसे व्यक्ति विवेकपूर्ण गर्भपात की संभावना प्रदान करते हैं और कई महिलाएं अपनी परिस्थितियों से गर्भपात में शामिल होने के लिए मजबूर महसूस कर सकती हैं। चिकित्सकीय रूप से सुरक्षित गर्भपात का विकल्प चुनने के बजाय ऐसे व्यक्तियों की सेवाएं। जैसा कि सुरेंद्र चौहान (ऊपर) में दर्शाया गया है, यह अक्सर महिला के लिए विनाशकारी परिणामों की ओर ले जाता है। पहुँच के लिए इन बाधाओं को ध्यान में रखते हुए

प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल, अब हम एम. टी. पी. अधिनियम की धारा 3 (2) और एम. टी. पी. नियमों के नियम 3 बी की व्याख्या की ओर मुड़ते हैं।

ई. विश्लेषण

आई. उद्देश्यपूर्ण व्याख्या का नियम

30. सवाल यह उठता है कि क्या नियम 3 बी में अविवाहित शामिल हैं?

महिलाएँ, एकल महिलाएँ या बिना साथी वाली महिलाएँ इसके दायरे में आती हैं। नियम 3 बी की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या करके जवाब का पता लगाया जा सकता है।

या अधिनियमन का उद्देश्य, शरारत, और इसके संबंधित उपचार जिसे अधिनियम को वास्तविक बनाने के लिए बनाया गया है। 3 2 आम तौर पर, विधायिका द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा विधायी इरादे का संकेत है। कनैलाल सूर बनाम। परमनिधि साधु खान, 33 गजेंद्रगडकर, जे. (विद्वान प्रमुख के रूप में) 32 जस्टिस जीपी सिंह, जी. पी. सिंहः स्टेट्यूटरी इंटरप्रिटेशन के सिद्धांत, (लेक्सिसनेक्सिस, 2016), पृष्ठ 12 पर; हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम। कैलाश चंद महाजन, 1992 सप्लीमेंट (2) एस. सी. सी. 351; भारत संघ बनाम। एल्फिंस्टन स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी लिमिटेड, (2001) 4 एससीसी 139

33 आकाशवाणी 1957 एससी 907 [2022] 7 एस. सी. आर.

तब न्याय) की राय थी कि "निर्माण का पहला और प्राथमिक नियम यह है कि विधानमंडल का इरादा स्वयं विधानमंडल द्वारा उपयोग किए गए शब्दों में पाया जाना चाहिए।" लेकिन जब शब्द दो या दो से अधिक संरचनाओं को धारण करने में सक्षम होते हैं, तो उनका अर्थ अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य के आलोक में लगाया जाना चाहिए। प्रावधान का उद्देश्यपूर्ण निर्माण "लक्ष्य द्वारा प्रकाशित होना चाहिए, हालांकि शब्द द्वारा निर्देशित" होना चाहिए। 3 4 अहरोन बराक का मानना है कि कुछ परिस्थितियों में यह भाषा और उपयोग किए गए शब्दों को "एक असामान्य और असाधारण अर्थ" देने का संकेत दे सकता है। 3 5 इससे पहले कि हम उद्देश्यपूर्ण निर्माण के अभ्यास में संलग्न हों, हमें सावधान रहना चाहिए कि किसी वैधानिक पाठ की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या करने की अदालत की शक्ति

इसका मतलब यह नहीं है कि एक न्यायाधीश अपनी व्यक्तिगत धारणाओं के साथ विधायी इरादे को प्रतिस्थापित कर सकता है। न्यायाधीश द्वारा प्रस्तावित वैकल्पिक निर्माण कानून के दायरे में होना चाहिए और विचाराधीन अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य को पूरा करने में मदद करनी चाहिए।

32. अधीनस्थ विधान की व्याख्या होनी चाहिए

सक्षम Act.³6 के अनुरूप एक अधीनस्थ विधान उचित और विधायी नीति के अनुरूप होना चाहिए। इसकी व्याख्या सार्थक तरीके से की जानी चाहिए, ताकि सक्षम अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य को प्रभावी बनाया जा सके। वह व्याख्या जो वैधानिक योजना के अनुरूप है और क़ानून को प्रभावी बनाती है, उसे अपनाया जाना चाहिए।

33. न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह द्वारा वैधानिक व्याख्या के सिद्धांतों में,

यह कहा गया है कि किसी क़ानून को उसके उद्देश्य की व्याख्या करने का प्रयास करते समय उसके संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। 37 संदर्भ में कानून को समग्र रूप से पढ़ना, कानून की पिछली स्थिति, कानून के सामान्य दायरे, आसपास की परिस्थितियों और उस शरारत का उल्लेख करना शामिल है जिसे दूर करने का इरादा था। 3 8 यह ग्रंथ बताता है किः

" कानून के उद्देश्य का पता लगाने के लिए एक सीमित नहीं है

कानून द्वारा स्वयं प्रदान की गई आंतरिक सहायता, हालांकि का पाठ

34 कांता गोयल बनाम। बी. पी. पाठक, 1977 एस. सी. आर. (3) 412 35 अहरोन बराक, कानून में उद्देश्यपूर्ण हस्तक्षेप, (प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस, 2007), पृष्ठ 305 पर।

36 केदारनाथ जूट विनिर्माण कंपनी v. वाणिज्यिक कर अधिकारी, एआईआर 1966 एससी 12;

भारत संघ बनाम। तुलसीराम पटेल (1986) 3 एस. सी. सी. 398; एम. एल. कामरा बनाम अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक, न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड (1992) 1 एस. सी. आर. 220; सेंट जॉन्स शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान बनाम। क्षेत्रीय निदेशक राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (2003) 3 एस. सी. सी. 321

37 जस्टिस जी. पी. सिंह, जी. पी. सिंहः पृष्ठ 35 पर स्थिति हस्तक्षेप के सिद्धांत (लेक्सिसनेक्सिस, 2016) 38 भारत संघ बनाम। संकलचंद हिमतलाल सेठ, (1977) 4 एस. सी. सी. 193, भारतीय रिजर्व बैंक बनाम। पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, (1987) 1 एस. सी. सी. 424 पी. आर.

एसईसीवाई। , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग। , जी. एन. सी. टी. दिल्ली [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

समग्र रूप से लिया गया क़ानून 'इरादे' के दोनों पहलुओं का पता लगाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है। बाहरी सहायता की एक सटीक और विस्तृत सूची निर्धारित करने के इरादे के बिना, लॉर्ड सोमरवेल ने कहा हैः जिस शरारत के खिलाफ क़ानून को निर्देशित किया गया है और, शायद एक अनिर्धारित सीमा तक आसपास की परिस्थितियों पर विचार किया जा सकता है। समान सामग्री में अन्य कानून और उस समय कानून की स्थिति स्वीकार्य हैं। इन बाहरी सहायताओं को 'संदर्भ' की अवधारणा को व्यापक बनाकर भी लाया जाता है, जिसमें न केवल एक ही क़ानून के अन्य अधिनियमित प्रावधान शामिल हैं, बल्कि इसकी प्रस्तावना, कानून की मौजूदा स्थिति, समान रूप से अन्य क़ानून और उस शरारत को भी शामिल किया गया है जिसका क़ानून का उद्देश्य था।

इलाज "। चिनप्पा रेड्डी के शब्दों में, जे। : " व्याख्या पाठ और संदर्भ पर निर्भर होनी चाहिए। वे आधार हैं

व्याख्या। यह अच्छी तरह से कहा जा सकता है कि यदि पाठ बनावट है, तो संदर्भ वह है जो रंग देता है। इसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। वह व्याख्या सबसे अच्छी है जो पाठ्य व्याख्या को प्रासंगिक से मेल खाती है। एक क़ानून की सबसे अच्छी व्याख्या तब की जाती है जब हम जानते हैं कि इसे क्यों लागू किया गया था।

34. उद्देश्यपूर्ण व्याख्या के नियम को पहली बार लोन के मामले 3 9 में निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया गया थाः

" सामान्य रूप से सभी कानूनों की निश्चित और सही व्याख्या के लिए (चाहे वे दंडात्मक हों या लाभकारी, प्रतिबंधात्मक या सामान्य कानून का विस्तार) चार चीजों को समझा और विचार किया जाना चाहिएः

1 सेंट. अधिनियम बनने से पहले सामान्य कानून क्या था?

2 एन. वह कौन सी शरारत और दोष था जिसके लिए सामान्य कानून में प्रावधान नहीं था। 3 आर. डी. संसद ने कौन सा उपाय हल किया है और उसे ठीक करने के लिए नियुक्त किया है

राष्ट्रमंडल की बीमारी।

और, चौथा। उपचार का वास्तविक कारण; और फिर सभी न्यायाधीशों का कार्यालय हमेशा ऐसा निर्माण करना है जो शरारत को दबाए, और उपचार को आगे बढ़ाए, और शरारत को जारी रखने के लिए सूक्ष्म आविष्कारों और टालमटोल को दबाए, और समर्थन करे। निजी सामान, और अधिनियम के निर्माताओं के सच्चे इरादे के अनुसार, इलाज और उपचार में बल और जीवन जोड़ने के लिए, प्रो बोनो

सार्वजनिक "

35. बंगाल इम्यूनिटी कं. वी. बिहार राज्य, 40 संविधान

एच ने निर्माण में हेडन के मामले में शरारत नियम लागू किया

संविधान की धारा 286। केहर सिंह बनाम। राज्य (दिल्ली)

एन.) , 41 इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने अभिनिर्धारित कियाः

" 231. पिछले कई वर्षों के दौरान, "सुनहरे नियम" को मंजूरी दी गई है। अब हम विधायिका के "इरादे" या क़ानून के "उद्देश्य" की तलाश करते हैं। सबसे पहले, हम क़ानून के शब्दों की जाँच करते हैं। यदि शब्द सटीक हैं और हाथ में स्थिति को कवर करते हैं, तो हम आगे नहीं बढ़ते हैं। हम उन शब्दों को स्वाभाविक और सामान्य अर्थों में समझाते हैं। लेकिन, यदि शब्द अस्पष्ट, अनिश्चित हैं या प्रयुक्त शब्दों के बारे में कोई संदेह उत्पन्न होता है, तो हम विधायी के तर्कसंगत अर्थ की भाषा को अपनाना अपना सर्वोच्च कर्तव्य मानते हैं। फिर हम हर शब्द, हर खंड की जांच करते हैं।

आंतरिक सहायताएँ इस प्रकार हैंः प्रस्तावना, योजना, कानूनों के कुछ हिस्सों को लागू करना, भाषाओं के नियम और कानूनों में अन्य प्रावधान।

36. मछुआरों के कल्याण कोष बोर्ड v सहित इस न्यायालय से निकले निर्णयों का एक समूह। फैंसी फूड, 4 2 भारत

5) 2 एससीआर 603

: 8) 3 एस. सी. सी. 609

5) 4 एस. सी. सी. 341 एक्स वी.

पीआर। एसईसीवाई। , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग। , जी. एन. सी. टी. दिल्ली [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

सिंह बनाम। नई दिल्ली तपेदिक केंद्र का प्रबंधन, नई दिल्ली, 43 4 3 बॉम्बे आनंद भवन रेस्तरां बनाम। ई. एस. आई. निगम। , 44 भारत संघ बनाम। प्रभाकरण विजय कुमार, 45 ने इस प्रस्ताव का निपटारा किया कि प्रगतिशील और लाभकारी कानून की व्याख्या लाभार्थियों के पक्ष में की जानी चाहिए जब किसी कानूनी प्रावधान के बारे में दो विचार लेना संभव हो।

37. एस. गोपाल रेड्डी बनाम। ए. पी. राज्य, 46 ने दहेज निषेध अधिनियम 1961 (एक लाभकारी विधान) की व्याख्या करते हुए, यह न्यायालय उद्देश्यपूर्ण व्याख्या दृष्टिकोण को अपनाकर "दहेज" के अर्थ की व्याख्या की गईः

" 12. यह क़ानूनों की व्याख्या का एक सर्वविदित नियम है कि क़ानून में उपयोग की जाने वाली किसी भी अभिव्यक्ति की व्याख्या करते समय पूरे अधिनियम के पाठ और संदर्भ पर ध्यान दिया जाना चाहिए। न्यायालयों को उस उद्देश्य पर ध्यान देना चाहिए जिसे कानून अधिनियम के किसी भी प्रावधान की व्याख्या करते समय प्राप्त करना चाहता है। अधिनियम की व्याख्या के लिए एक उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण आवश्यक है। हम श्री राव से सहमत होने के लिए खुद को मनाने में असमर्थ हैं कि यह केवल संपत्ति है या विवाह के समय दी गई मूल्यवान प्रतिभूति जो इसे अधिनियम के तहत दंडनीय "दहेज" की परिभाषा के भीतर लाएगी, क्योंकि इस तरह की व्याख्या उसी उद्देश्य को विफल कर देगी जिसके लिए अधिनियम लागू किया गया था। अधिनियम के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, "दहेज की मांग" एक प्रस्तावित के लिए विचार के रूप में

विवाह अधिनियम के तहत दहेज अभिव्यक्ति के अर्थ के भीतर भी आएगा। अगर हम श्री राव से सहमत हैं कि यह केवल शादी के समय या बाद में की गई "मांग" है जो अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय है, तो कुछ गंभीर परिणाम, जो

विधायिका जिनसे बचना चाहती थी, वे पालन करने के लिए बाध्य हैं। उदाहरण के लिए एक ऐसे मामले को लें जहां दूल्हा या उसके माता-पिता या अन्य रिश्तेदार शादी की बातचीत के दौरान दहेज की "मांग" करते हैं। और बाद में
दुल्हन को दुल्हन के घर लाने के बाद पता चलता है कि दुल्हन या उसके माता-पिता या रिश्तेदारों ने पहले की "मांग" को पूरा नहीं किया है और शादी को रद्द कर देते हैं और दुल्हन का घर छोड़ देते हैं, अगर वे अधिनियम के तहत सजा से बच जाते हैं। इसका जवाब एक जोरदार "नहीं" होना चाहिए। अगर हम यह स्वीकार करते हैं कि उनकी कार्रवाई अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों को आकर्षित नहीं करेगी तो यह चोट के अपमान को जोड़ना होगा। इस तरह की व्याख्या होगी

44 (2009) 9 एस. सी. सी 61 45 (2008) 9 एस. सी. सी. 527

(1996) 4 एससीसी 596 [2022] 7 एस. सी. आर.

अधिनियम के उद्देश्य को विफल कर देगा और इसके विपरीत भी चलेगा

विधियों की व्याख्या से संबंधित स्वीकृत सिद्धांत।

(मूल में जोर)

इस सिद्धांत को इस न्यायालय द्वारा लगातार लागू किया गया है, जबकि

लाभकारी कानून बनाना। हाल ही में के. एच. नजर बनाम. मैथ्यू के जैकब, 47 नागेश्वर राव, जे. ने दो-न्यायाधीशों की पीठ के लिए लिखते हुए कहाः

एक उद्देश्य-उन्मुख दृष्टिकोण के साथ। अधिनियम को एक उदार प्राप्त होना चाहिए अपनी वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए निर्माण। इसके अलावा, शाब्दिक निर्माण

लाभकारी विधान के प्रावधानों से बचना होगा। यह वह है

बनाने में विधायिका के इरादे को समझने का अदालत का कर्तव्य

कानून। एक बार जब इस तरह के इरादे का पता चल जाता है, तो क़ानून को एक उद्देश्यपूर्ण या कार्यात्मक व्याख्या प्राप्त करें।

ii. एक स्रोत के रूप में विवाह की संस्था को पार करना

अधिकार

38. जबकि कानून के अधिकांश लाभ थे (और वास्तव में हैं)

विवाह की संस्था, आधुनिक समय में कानून इस धारणा को हटा रहा है कि विवाह व्यक्तियों के अधिकारों (अकेले या एक दूसरे के संबंध में) के लिए एक पूर्व शर्त है। अपने उद्देश्य और उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए किसी अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या करते समय सामाजिक रूढ़ियों को बदलने को ध्यान में रखा जाना चाहिए। क़ानूनों को "हमेशा बोलने वाला" माना जाता है। 48

39. बादशाह वी. उर्मिला बादशाह गोडसे, 49 9 यह अदालत

पुनः पुष्टि की कि कानून की व्याख्या परिवर्तन के संदर्भ में की जानी चाहिए

समय और परिस्थितियों की आवश्यकताएँ। ए. के. सीकरी, जे. ने इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए कहा कि कानूनों की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या को आगे बढ़ाते हुए कानून और समाज के बीच की खाई को पाटना न्यायालयों का कर्तव्य हैः

“ 16. कानून लोगों के बीच संबंधों को नियंत्रित करता है। यह निर्धारित करता है

व्यवहार के प्रतिरूप। यह समाज के मूल्यों को दर्शाता है। की भूमिका

न्यायालय समाज में कानून के उद्देश्य को समझना है और

कानून को अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करें। लेकिन समाज का कानून एक है जीवित जीव। यह एक दी गई तथ्यात्मक और सामाजिक वास्तविकता पर आधारित है।

यह लगातार बदल रहा है। कभी-कभी कानून में बदलाव से पहले

47 (2020) 14 एस. सी. सी. 126 48 धरणी शुगर एंड केमिकल्स लिमिटेड v. भारत संघ, (2019) 5 एस. सी. सी. 480 49 (2014) 1 एस. सी. सी. 188 X v.

पीआर। एसईसीवाई। , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग। , जी. एन. सी. टी. दिल्ली [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

हालाँकि, कानून में परिवर्तन सामाजिक वास्तविकता में परिवर्तन का परिणाम है। वास्तव में, जब सामाजिक वास्तविकता बदलती है, तो कानून को भी बदलना चाहिए।

जिस तरह सामाजिक वास्तविकता में परिवर्तन जीवन का नियम है, उसी तरह प्रतिक्रियाशीलता

सामाजिक वास्तविकता में परिवर्तन कानून का जीवन है। यह कहा जा सकता है कि कानून का इतिहास कानून को समाज के अनुकूल बनाने का इतिहास है।

बदलती ज़रूरतें। संवैधानिक और वैधानिक दोनों व्याख्याओं में,

न्यायालय को यह निर्धारित करने में विवेक का प्रयोग करना चाहिए कि व्यक्तिपरक और वस्तुनिष्ठ उद्देश्यों के बीच उचित संबंध

कानून "।

(जोर दिया गया)

40. नवतेज सिंह जौहर (ऊपर) में, इस न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया

हमारे संविधान की परिवर्तनकारी प्रकृति। परिवर्तनकारी संविधानवाद सुनिश्चित करके सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देता है और जन्म देता है

कि प्रत्येक व्यक्ति संविधान के तहत गारंटीकृत जीवन और स्वतंत्रता का आनंद लेने में सक्षम है। इस न्यायालय ने कहा कि परिवर्तनकारी

संविधानवाद न्यायपालिका को "संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करने और बनाए रखने का कर्तव्य देता है, जबकि साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि

संविधान के साथ-साथ कानून के अन्य प्रावधानों की व्याख्या और उन्हें लागू करके समाज में निरंतर और अंतहीन रूप से परिवर्तन की भावना की शुरुआत की जाती है। 50

ए। पारिवारिक संबंधों के आधुनिक या असामान्य रूप

41. कानून को इस तथ्य से अवगत रहना चाहिए कि इसमें परिवर्तन होते हैं

समाज ने पारिवारिक संरचनाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तनों की शुरुआत की है। एस. खुशबू बनाम। कन्निअम्मल, 5 1 इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ

यह स्वीकार किया कि लिव-इन रिलेशनशिप और प्री-मैरिटल सेक्स को आपराधिकता के चश्मे से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। न्यायालय ने टिप्पणी कीः

“ 46. [...] जबकि इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि भारत में विवाह एक

महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थान, हमें अपने दिमाग को भी खुला रखना चाहिए

तथ्य यह है कि कुछ व्यक्ति या समूह हैं जो नहीं करते हैं

एक ही नज़र रखें। निश्चित रूप से, कुछ स्वदेशी समूह हैं

हमारे देश के भीतर जहाँ वैवाहिक जीवन से बाहर यौन संबंध हों

मुख्यधारा, वहाँ लोगों की एक महत्वपूर्ण संख्या है जो देखते हैं विवाह से पहले यौन संबंध बनाने में कुछ भी गलत नहीं है। सामाजिक धारणाएँ

50 नवतेज सिंह जौहर बनाम। भारत संघ, (2018) 10 एस. सी. सी. 1, पैराग्राफ 122 51 (2010) 5 एस. सी. सी. 600 [2022] 7 एस. सी. आर.

नैतिकता स्वाभाविक रूप से व्यक्तिपरक है और आपराधिक कानून नहीं हो सकता है व्यक्तिगत के क्षेत्र में अनुचित हस्तक्षेप करने के साधन के रूप में उपयोग किया जाता है

स्वायत्तता। नैतिकता और आपराधिकता एक साथ नहीं हैं।

42. दीपिका सिंह बनाम। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, 52 इस न्यायालय की एक पीठ (जिसमें हम में से एक, डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ एक हिस्सा हैं) ने माना कि पारिवारिक इकाइयां असामान्य रूप में प्रकट हो सकती हैं।

:

" 26. कानून और समाज दोनों में "परिवार" की अवधारणा की प्रमुख समझ यह है कि इसमें एक परिवार होता है। एक माँ और एक पिता (जो समय के साथ स्थिर रहते हैं) और उनके बच्चों के साथ अपरिवर्तनीय इकाई। यह धारणा दोनों की उपेक्षा करती है, कई परिस्थितियाँ जो किसी के पारिवारिक ढांचे में बदलाव का कारण बन सकती हैं, और यह तथ्य कि कई परिवार शुरू में इस अपेक्षा के अनुरूप नहीं हैं। पारिवारिक संबंध घरेलू, अविवाहित साझेदारी या विचित्र संबंधों का रूप ले सकते हैं। ए.

परिवार किसी भी कारण से एकल माता-पिता परिवार हो सकता है, जिसमें जीवनसाथी की मृत्यु, अलगाव या तलाक शामिल हैं। इसी तरह, बच्चों के अभिभावक और देखभाल करने वाले (जो पारंपरिक रूप से "माँ" और "पिता" की भूमिका निभाते हैं) पुनर्विवाह, गोद लेने या पालन-पोषण के साथ बदल सकते हैं। इन अभिव्यक्तियों से

परिवार जो पारंपरिक परिवारों से अलग हैं। वैसा ही। निस्संदेह उन महिलाओं के लिए सच है जो भूमिका निभाती हैं

मातृत्व को उन तरीकों से लोकप्रिय कल्पना में जगह नहीं मिल सकती है।

43. सामाजिक वास्तविकता, जैसा कि इस न्यायालय ने दीपिका सिंह के मामले में कहा है

क), गैर-पारंपरिक को कानूनी रूप से मान्यता देने की आवश्यकता को इंगित करता है।

पारिवारिक संबंधों के उत्सव। इस तरह की कानूनी मान्यता गैर-पारंपरिक पारिवारिक संरचनाओं में व्यक्तियों को एम. टी. पी. अधिनियम सहित लाभकारी कानून के तहत लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है।

बी। विवाहित और अविवाहित या एकल महिलाओं की समान स्थिति

2 एससीसी ऑनलाइन एससी 1088 एक्स वी।

पीआर। एसईसीवाई। , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग। , जी. एन. सी. टी. दिल्ली [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

44. वर्षों से संसद ने विवाहित और अविवाहित महिलाओं के अधिकारों के बीच सामंजस्य लाने के लिए कानून बनाया है।

किसी भी प्रतिष्ठान में कार्यरत महिलाओं को मातृत्व लाभ प्रदान करने के लिए मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 लागू किया गया था। धारा 5 के अनुसार मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, "हर महिला" वाक्यांश का उपयोग करके सभी महिलाओं (अविवाहित महिलाओं सहित) को प्रसूति लाभों का भुगतान किया जाता है।

45. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 हिंदुओं के बीच निर्वसीयत उत्तराधिकार से संबंधित कानून को संहिताबद्ध करने के लिए अधिनियमित किया गया था। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 सह-मौद्रिक में ब्याज के हस्तांतरण से संबंधित है।

संपत्ति। इस प्रावधान के संदर्भ में एक बेटी, चाहे उसकी वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो, हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 के आधार पर बेटे के समान अपने अधिकार में सह-भागीदार है।

47. उपरोक्त अधिनियमों के माध्यम से, कानून ने इस बात पर जोर दिया है कि अविवाहित महिलाओं को विवाहित महिलाओं के समान अधिकार हैं - गोद लेना, उत्तराधिकार और मातृत्व लाभ। महत्वपूर्ण रूप से, ये कानून यह भी दर्शाते हैं कि विवाहित और अविवाहित दोनों महिलाओं को अपने कल्याण के संबंध में महत्वपूर्ण विकल्प चुनने के लिए समान निर्णयात्मक स्वायत्तता है।

48. लैंगिक समानता वाले समाज की दिशा में कानून के विकास में, एम. टी. पी. अधिनियम और एम. टी. पी. नियमों की व्याख्या को सामाजिक समानता पर विचार करना चाहिए।

आज की वास्तविकताओं को उस युग के सामाजिक मानदंडों द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए जो इतिहास के अभिलेखागार में पारित हो गए हैं। जैसे-जैसे समाज बदलता है और विकसित होता है, वैसे-वैसे हमारी रूढ़ियाँ और परंपराएँ भी बदलनी चाहिए। एक परिवर्तित सामाजिक संदर्भ हमारे कानूनों के पुनः समायोजन की मांग करता है। कानून स्थिर नहीं रहना चाहिए और इसका व्याख्या को बदलते सामाजिक संदर्भ को ध्यान में रखना चाहिए और सामाजिक न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाना चाहिए।

iii. एम. टी. पी. अधिनियम का उद्देश्य और उद्देश्य

49. किसी अधिनियम का उद्देश्य या उद्देश्य वह शरारत है जिस पर

अधिनियम निर्देशित है और उपाय जो सांसदों के पास है शरारत को दूर करने के लिए तैयार किया गया। कई निर्णय, जैसे कि चिरंजित [2022] 7 एस. सी. आर.

लाल चौधरी बनाम। भारत संघ, 53 ए. थंगल कुंजू मुसलियार बनाम। एम. वेंकटचलम पोट्टी, 54 हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम। कैलाश चंद महाजन, 55 और राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम। स्वर्ण सिंह ने कहा कि विधायी इतिहास और किसी अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण पर गौर करना वांछनीय है ताकि कानून की पृष्ठभूमि और स्थिति और उन परिस्थितियों की सराहना की जा सके जो उस समय प्रचलित थीं जब कानून बनाया गया था। 50. एम. टी. पी. अधिनियम के अधिनियमन से पहले, गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति आई. पी. सी. द्वारा नियंत्रित की जाती थी। आई. पी. सी. के अध्याय XVI में शामिल हैं -

"गर्भपात के कारण, अजन्मे बच्चों को चोट लगने, शिशुओं के संपर्क में आने और जन्मों को छिपाने" शीर्षक वाला एक खंड, जिसमें धारा 312 से 318 इस खंड का एक हिस्सा है। धारा 312 गर्भपात को अपराध मानती है, किसी भी व्यक्ति (गर्भवती महिला सहित) को अजन्मे भ्रूण वाली महिला का गर्भपात कराने के लिए उत्तरदायी बनाती है, सिवाय इसके कि महिला के जीवन को बचाने के लिए प्रक्रिया सद्भावना से की जाती है। धारा 313 में आजीवन कारावास या कारावास की सजा का प्रावधान है जो महिला की सहमति के बिना 'गर्भपात कराने' का अपराध करने पर दस साल तक बढ़ सकती है। आई. पी. सी. की धारा 312 से धारा 316 वांछित और अवांछित गर्भधारण के बीच अंतर करने में विफल रही, जिससे

महिलाओं के लिए सुरक्षित गर्भपात तक पहुँचना बेहद कठिन है। 1971 से पहले, आई. पी. सी. के तहत गर्भपात का अपराधीकरण अक्सर महिलाओं को गर्भपात के लिए मजबूर करता था। असुरक्षित, अस्वच्छ और अनियमित गर्भपात की तलाश करें, जिससे मातृ रुग्णता और मृत्यु दर में वृद्धि होती है।

51. इस पृष्ठभूमि में, गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति

विधेयक 57 का मसौदा तैयार किया गया और 17 नवंबर 1969 को राज्यसभा में पेश किया गया। 2 अगस्त 1971 को, एम. टी. पी. विधेयक को लोकसभा में "आई. पी. सी. की धारा 312 के तहत कुछ प्रतिबंधों को उदार बनाने" के इरादे से पेश किया गया था। 58 एम. टी. पी. अधिनियम को संसद द्वारा "स्वास्थ्य" उपाय, "मानवीय" उपाय और "सुजनन" उपाय के रूप में अधिनियमित किया गया था। एम. टी. पी. अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण का प्रासंगिक भाग है -

55 1992 पूरक (2) एस. सी. सी. 351 56 (2004) 3 एससीसी 297

57 " एम. टी. पी. विधेयक "58 लोकसभा बहस, पाँचवीं श्रृंखला, खंड। VII, संख्या 53 (2 अगस्त 1972), पृष्ठ 159 X v पर।

पीआर। एसईसीवाई। , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग। , जी. एन. सी. टी. दिल्ली [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

" 1. दंड संहिता, 1860 में गर्भावस्था की समाप्ति के संबंध में प्रावधान जो लगभग एक सदी पहले अधिनियमित किए गए थे

2. हाल के वर्षों में, जब स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ है और समाज के सभी वर्गों द्वारा अस्पतालों का पूरा लाभ उठाया जाता है, डॉक्टरों को अक्सर गंभीर रूप से बीमार या मरने का सामना करना पड़ता है।

गर्भवती महिलाएँ जिनके गर्भवती गर्भाशय में गर्भपात कराने की दृष्टि से छेड़छाड़ की गई है और परिणामस्वरूप उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ा है

गंभीर रूप से।

3. इस प्रकार माँ के स्वास्थ्य, शक्ति और कभी-कभी जीवन की अपव्यय से बचा जा सकता है। प्रस्तावित उपाय जो गर्भावस्था की समाप्ति से संबंधित कुछ मौजूदा प्रावधानों को उदार बनाने का प्रयास करता है, की कल्पना (1) एक स्वास्थ्य उपाय के रूप में की गई है जब महिला के जीवन के लिए खतरा है या उसके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरा है; (2) मानवीय आधार पर-जैसे कि जब बलात्कार या किसी पागल के साथ संभोग जैसे यौन अपराध से गर्भावस्था उत्पन्न होती है।

स्त्री आदि। ; और (3) यूजेनिक आधार जहां पर्याप्त है जोखिम है कि बच्चा, यदि पैदा होता है, तो विकृतियों से पीड़ित होगा और

रोग "।

एम. टी. पी. अधिनियम का पूरा उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित और कानूनी चिकित्सा गर्भपात तक पहुंच प्रदान करना है। एम. टी. पी. अधिनियम मुख्य रूप से लाभकारी है।

कानून, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आर. एम. पी. द्वारा प्रदान की जाने वाली गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति की सेवाओं तक पहुँचने में सक्षम बनाना है। एक लाभकारी कानून होने के नाते, एम. टी. पी. नियमों और एम. टी. पी. अधिनियम के प्रावधानों को एक उद्देश्यपूर्ण निर्माण के साथ आत्मसात किया जाना चाहिए। एम. टी. पी. अधिनियम और एम. टी. पी. नियमों के प्रावधानों की व्याख्या विधायी उद्देश्य के अनुरूप होनी चाहिए। 52. एम. टी. पी. संशोधन अधिनियम 2021 का उद्देश्य एकल और अविवाहित महिलाओं सहित सभी महिलाओं को क़ानून का लाभ देना है। एम. टी. पी. संशोधन अधिनियम 2021, जो 24 सितंबर [2022] से लागू हुआ।

2021 , एम. टी. पी. अधिनियम की धारा 3 में गर्भावस्था की अनुमेय समाप्ति की ऊपरी सीमा को बीस से बढ़ाकर एक बड़ा बदलाव किया गया। सप्ताह से लेकर चौबीस सप्ताह तक। अपरिवर्तित एम. टी. पी. अधिनियम के संदर्भ में, धारा 3 (2) के तहत गर्भावस्था को केवल तभी समाप्त किया जा सकता है जब यह उससे अधिक न हो।

बीस सप्ताह। एम. टी. पी. संशोधन अधिनियम 2021 ने ऊपरी सीमा को बढ़ा दिया। दो आर. एम. पी. की राय के आधार पर महिलाओं की विशिष्ट श्रेणियों के लिए चौबीस सप्ताह तक गर्भावस्था की सीमा और गर्भपात की अनुमति।

53. एम. टी. पी. संशोधन अधिनियम 2021 ने गर्भनिरोधक की विफलता के कारण एक महिला के मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर चोट के कानूनी अनुमान का लाभ सभी महिलाओं को दिया, न कि केवल विवाहित महिलाओं को। अपरिवर्तित एम. टी. पी. अधिनियम, स्पष्टीकरण II में प्रावधान किया गया है कि बच्चों की संख्या को सीमित करने के उद्देश्य से किसी भी "विवाहित महिला या उसके पति" द्वारा उपयोग किए गए किसी भी उपकरण या विधि की विफलता के परिणामस्वरूप गर्भावस्था के कारण होने वाली पीड़ा को महिला के मानसिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर चोट माना जा सकता है। इसके बाद

एम. टी. पी. संशोधन अधिनियम 2021, स्पष्टीकरण I में कहा गया है कि

"किसी भी महिला या उसके साथी" द्वारा बच्चों की संख्या को सीमित करने या गर्भावस्था को रोकने के लिए उपयोग किए जाने वाले गर्भनिरोधक उपकरण की विफलता से उत्पन्न गर्भावस्था (बीस सप्ताह तक) के कारण हो सकता है

एक महिला के मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर चोट माना जाता है। एम. टी. पी. अधिनियम की योजना से "विवाहित महिला या उसके पति" शब्द को समाप्त करके, विधायिका का उद्देश्य धारा 3 के दायरे को स्पष्ट करना और विवाह की संस्था के बाहर होने वाली गर्भधारण को कानून के सुरक्षात्मक दायरे में लाना था।

54. संशोधन अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों का विवरण प्रजनन अधिकारों के ढांचे के भीतर उद्देश्य का पता लगाता हैः

" सुरक्षित गर्भपात के लिए समय बीतने और चिकित्सा प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ, विशेष रूप से कमजोर महिलाओं के लिए और गर्भावस्था में देर से पाए जाने वाले पर्याप्त भ्रूण विसंगतियों के साथ गर्भधारण के लिए गर्भपात की ऊपरी गर्भावस्था सीमा बढ़ाने की गुंजाइश है। इसके अलावा, गर्भपात को कम करने के लिए कानूनी और सुरक्षित गर्भपात सेवा तक महिलाओं की पहुंच बढ़ाने की भी आवश्यकता है

असुरक्षित गर्भपात और इसकी जटिलताओं के कारण होने वाली मातृ मृत्यु दर और रुग्णता। आवश्यकता और मांग को ध्यान में रखते हुए

परिस्थितियों और महिलाओं की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए, यह उक्त अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित विधेयक एक है

महिलाओं की सुरक्षा और कल्याण की दिशा में कदम और X v।

पीआर। एसईसीवाई। , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग। , जी. एन. सी. टी. दिल्ली [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

महिलाओं की सुरक्षित और कानूनी पहुंच का दायरा बढ़ाना।

सुरक्षा और देखभाल की गुणवत्ता से समझौता किए बिना गर्भपात। यह प्रस्ताव गरिमा, स्वायत्तता, गोपनीयता भी सुनिश्चित करेगा।

और उन महिलाओं के लिए न्याय जिन्हें गर्भावस्था को समाप्त करने की आवश्यकता है।

(जोर दिया गया)

55. उद्देश्यों और कारणों का कथन इंगित करता है कि एम. टी. पी.

संशोधन अधिनियम 2021 मुख्य रूप से मातृ मृत्यु दर और रुग्णता को कम करने के लिए सुरक्षित और कानूनी गर्भपात तक पहुंच बढ़ाने से संबंधित है। "कुछ निर्दिष्ट शर्तों" के तहत गर्भपात के लिए ऊपरी गर्भावस्था सीमा में वृद्धि को "गर्भावस्था को समाप्त करने की आवश्यकता वाली महिलाओं के लिए गरिमा, स्वायत्तता, गोपनीयता और न्याय" सुनिश्चित करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए आवश्यक माना गया था।

56. 1971 का असंशोधित एम. टी. पी. अधिनियम काफी हद तक संबंधित था।

"विवाहित महिलाओं" के साथ, जैसा कि इसके उद्देश्यों और कारणों के कथन के पैराग्राफ 1 से स्पष्ट है, जिसमें कहा गया है कि गर्भपात की मांग करने वाली अधिकांश महिलाएं विवाहित थीं, और इस प्रकार "अपनी गर्भावस्था को छिपाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी"। उल्लेखनीय रूप से, 2021 का उद्देश्यों का विवरण और कारण विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच अंतर नहीं करते हैं। बल्कि, सभी महिलाएं सुरक्षित और कानूनी गर्भपात के लाभ की हकदार हैं।

57. यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के जवाब के अनुरूप है।

महिला स्वास्थ्य सेवा पर रिपोर्ट के लिए परिवार कल्याणः महिला सशक्तिकरण समिति द्वारा नीतिगत विकल्प (2020-2021)। द. मंत्रालय ने जवाब दिया कि "सभी महिलाओं के लिए सुरक्षित गर्भपात सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए, सभी महिलाओं के लिए उनकी वैवाहिक स्थिति के बावजूद गर्भपात सेवाओं का प्रावधान प्रस्तावित है।" 59 महिला सशक्तिकरण समिति ने अनुमेय अवधि बढ़ाने की सिफारिश की थी।

24 सप्ताह तक गर्भपात और कानून में "विवाहित" शब्द को हटा दिया गया है, ताकि "कोई भी अंतिम उपाय के रूप में नकली क्लीनिकों पर निर्भर किए बिना गर्भपात करा सके"।

58. भाषण सहित एम. टी. पी. अधिनियम का विधायी इतिहास

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने संशोधन विधेयक पेश करते समय सामाजिक संदर्भ पर प्रकाश डाला जिसकी आवश्यकता थी

59 महिला सशक्तिकरण समिति (2020-2021), "महिला स्वास्थ्य सेवा पर ग्यारहवीं रिपोर्ट (सोलहवीं लोकसभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर चौथी रिपोर्ट (सत्रहवीं लोकसभा): नीति विकल्प (2021), पृष्ठ 33 [2022] 7 एस. सी. आर. पर।

एम. टी. पी. संशोधन अधिनियम 2021। डॉ. हर्षवर्धन (जो उस समय केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री थे) ने कहा कि गर्भावस्था की ऊपरी सीमा को बढ़ाने का उद्देश्य व्यापक गर्भपात देखभाल तक पहुंच को मजबूत करना था, विशेष रूप से महिलाओं की विशेष श्रेणियों के लिए। 61 मौजूदा परिस्थितियों के बारे में विस्तार से बताते हुए, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने कहा कि "सर्वोच्च न्यायालय में 26 याचिकाएं दायर की गई हैं और उच्च न्यायालयों के समक्ष सौ से अधिक याचिकाएं दायर की गई हैं", जिसमें बीस सप्ताह की सीमा से अधिक गर्भावस्था की उम्र में गर्भपात की अनुमति मांगी गई है। इसे ध्यान में रखते हुए "लंबे समय से प्रतीक्षित संशोधन" पेश किया गया था। 62 एक विवाहित महिला और उसके पति के बजाय एक महिला और उसके साथी को शामिल करने पर उठाई गई आपत्तियों का जवाब देते हुए, मंत्री ने कहा कि सामाजिक मानदंडों के विकास को ध्यान में रखते हुए, गर्भनिरोधक की विफलता को शामिल किया जाना चाहिए।

सभी महिलाओं के लिए गर्भपात सुविधाओं तक पहुंच। 63 इस संशोधन के पीछे के उद्देश्य को समझाते हुए, मंत्री ने कहा कि एक निरंतर बदलते समाज को ध्यान में रखते हुए, एकल महिलाओं, विधवाओं और यौनकर्मियों के अधिकारों पर विचार किया जाना चाहिए। 64 संशोधन के बाद, एम. टी. पी. अधिनियम की योजना गर्भधारण की चिकित्सा समाप्ति के उद्देश्य से विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच अंतर नहीं करती है। संशोधन विधेयक को महिलाओं के सम्मान के साथ जीने के अधिकार को बनाए रखने के लिए पेश किया गया एक "प्रगतिशील कानून" कहा गया था। 6 65

59. के एक महत्वपूर्ण पहलू से संबंधित एक वैधानिक पाठ

जीवन के अधिकार और प्रजनन अधिकारों तक पहुंच बढ़ाने के लिए व्यापक निर्माण किया जाना चाहिए। एम. टी. पी. संशोधन अधिनियम 2021 का विधायी इतिहास उस कठिनाई के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जिस पर संशोधन का उद्देश्य था। एम. टी. पी. संशोधन अधिनियम 2021 से संबंधित संसदीय बहसों के दौरान, असुरक्षित गर्भपात और मातृ मृत्यु के बीच संबंध पर आंकड़े साझा किए गए। 1971 से एम. टी. पी. अधिनियम के संसदीय इतिहास में असुरक्षित गर्भपात का निरंतर संकट बना हुआ है। असुरक्षित गर्भपात मातृ मृत्यु दर और रुग्णता का एक प्रमुख लेकिन रोकथाम योग्य कारण है। हालाँकि, 1971 में एम. टी. पी. अधिनियम के अधिनियमन के बावजूद, असुरक्षित गर्भपात मातृ मृत्यु दर का तीसरा प्रमुख कारण बना हुआ है, और भारत में हर दिन लगभग आठ महिलाओं की मृत्यु मातृ मृत्यु दर के कारण होती है। 60 लोकसभा बहस, सत्रहवीं श्रृंखला, खंड। VIII, तीसरा सत्र, 2020/1041, संख्या 1 9 (17 मार्च 2020), पृष्ठ 271 पर ("लोकसभा बहस, सत्रहवीं श्रृंखला") 61 लोकसभा बहस, सत्रहवीं श्रृंखला, पृष्ठ 336 पर

62 लोकसभा बहस, सत्रहवीं श्रृंखला, पृष्ठ 272 63 पर लोकसभा बहस, सत्रहवीं श्रृंखला, पृष्ठ 337 64 पर लोकसभा बहस, सत्रहवीं श्रृंखला, पृष्ठ 337 65 पर लोकसभा बहस, सत्रहवीं श्रृंखला, पृष्ठ 274 X v पर।

पीआर। एसईसीवाई। , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग। , जी. एन. सी. टी. दिल्ली [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

असुरक्षित गर्भपात से संबंधित कारण। 66 बीएमजे ग्लोबल हेल्थ में प्रकाशित एक अन्य अध्ययन में असुरक्षित गर्भपात के गंभीर आंकड़ों की ओर इशारा किया गया है।

भारतः वर्ष 2007 और 2011 के बीच किए गए 67 प्रतिशत गर्भपातों को असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया था। 67 यह आगे बताता है कि

भारत में कम सामाजिक आर्थिक स्थिति वाली महिलाओं सहित वंचित महिलाओं को असुरक्षित गर्भपात से गुजरने का अधिक खतरा है। सुरक्षित गर्भपात सेवाओं तक पहुंच से इनकार करके, प्रतिबंधात्मक गर्भपात कानून हैं असुरक्षित गर्भपात की घटनाओं को बढ़ाने के लिए दिखाया गया है। 68 अवैध और असुरक्षित गर्भपात के कारण होने वाली गंभीर सामाजिक बीमारी को देखते हुए, एम. टी. पी. संशोधन अधिनियम 2021 का उद्देश्य महिलाओं के लिए कानूनी गर्भपात देखभाल की उपलब्धता और गुणवत्ता में सुधार करना है, जिसमें असंशोधित एम. टी. पी. अधिनियम की कुछ प्रतिबंधात्मक विशेषताओं को उदार बनाया गया है और गर्भावस्था की अवधि की कानूनी सीमा को बढ़ाया गया है जिसके भीतर गर्भपात बीस से चौबीस सप्ताह तक किया जा सकता है।

iv. व्याख्या की सहायता के रूप में एम. टी. पी. अधिनियमः समझिए।

" मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान "

60. किसी उपखंड या किसी वैधानिक प्रावधान के हिस्से की व्याख्या करते समय, पूरे खंड को विभिन्न उपखंडों के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

66 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, "सीइंग द अनसीनः अनपेक्षित गर्भावस्था के उपेक्षित संकट में कार्रवाई का मामला, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन "(2022) 67 रियो योको, चौधरी एसएस, आदि। , भारत में 18 लाख महिलाओं में असुरक्षित गर्भपात और गर्भपात से संबंधित मृत्यु, 4 (3) बीएमजे ग्लोबल हेल्थ (2019) 68 जोनाथन बैरक और अन्य। , आय, क्षेत्र और गर्भपात की कानूनी स्थिति के आधार पर अनपेक्षित गर्भावस्था और गर्भपातः 1990-2019,8 (9) लैंसेट ग्लोबल हेल्थ (2020) के लिए एक व्यापक मॉडल से अनुमान

69 बालासिनोर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड बनाम बाबाभाई शंकरलाल पांड्या, (1987) 1 एस. सी. सी. 606; मदनलाल फकीरचंद बनाम। श्री चांगदेव शुगर मिल्स लिमिटेड, 1962 पूरक (3) एस. सी. आर. 973 [2022] 7 एस. सी. आर.

अनुभाग में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "उसके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर चोट" 3 (2) इसका उपयोग व्यापक और सर्वव्यापी अर्थ में किया जाता है। धारा 3 (2) में संलग्न दो स्पष्टीकरण निम्नलिखित परिस्थितियों को प्रदान करते हैं -

जिसे गर्भावस्था के कारण होने वाली पीड़ा को महिला के मानसिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर चोट माना जा सकता है।

62. देश की अदालतों ने धारा 5 की विस्तृत व्याख्या करके महिलाओं को अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी है, जहां गर्भावस्था की अवधि बीस सप्ताह (अपरिवर्तित एम. टी. पी. अधिनियम में गर्भावस्था की समाप्ति के लिए बाहरी सीमा) से अधिक हो, जिसने आर. एम. पी. को बीस सप्ताह की सीमा से अधिक गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी, जब महिला का जीवन बचाने के लिए आवश्यक था। एक्स वी में। भारत संघ, 70 ममता वर्मा बनाम। भारत संघ, 7 1 मीरा संतोष पाल बनाम। भारत संघ ", 2 शर्मिष्ठा चक्रवर्ती बनाम। भारत संघ, 7 3 इस न्यायालय ने किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर चोट लगने के जोखिम को ध्यान में रखते हुए बीस सप्ताह के बाद के गर्भधारण को समाप्त करने की अनुमति दी।

गर्भावस्था को अवधि तक ले जाने वाली गर्भवती महिला। 63. अदालतों में जाने के आधार अलग-अलग हैं और इसमें विभिन्न कारण शामिल हैं जैसे कि चल रही गर्भावस्था के दौरान एक महिला के वातावरण की परिस्थितियों में बदलाव, जिसमें जीवन के लिए जोखिम, मानसिक स्वास्थ्य के लिए 74 जोखिम, 75 शामिल हैं।

70 (2017) 3 एससीसी 458 71 (2018) 14 एस. सी. सी. 289

72 (2017) 3 एस. सी. सी. 462

73 (2018) 13 एससीसी 339 74 ए वी। भारत संघ, (2018) 14 एस. सी. सी. 75; X v. भारत संघ, (2017) 3 एस. सी. सी. 458; मीरा संतोष पाल बनाम। भारत संघ, (2017) 3 एस. सी. सी. 462; तपस्य उमेश पिसल बनाम। संघ का

भारत, (2018) 12 एससीसी 57; ममता वर्मा बनाम। भारत संघ, (2018) 14 एस. सी. सी. 289

75 एक्स वी। भारत संघ, (2017) 3 एस. सी. सी. 458; मीरा संतोष पाल बनाम। भारत संघ, (2017) 3 एस. सी. सी. 462; शर्मिष्ठा चक्रवर्ती बनाम। भारत संघ, (2018) 13 एस. सी. सी. 339; ममता वर्मा बनाम। भारत संघ, (2018) 14 एस. सी. सी. 289; जेड. वी. बिहार राज्य, (2018) 11 एस. सी. सी. 572 76 ए. वी. भारत संघ, (2018) 14 एस. सी. सी. 75; शर्मिष्ठा चक्रवर्ती बनाम। भारत संघ, (2018) 13 एस. सी. सी. 339; तपस्य उमेश पिसल बनाम। भारत संघ, (2018) 12 एस. सी. सी. 57; ममता वर्मा बनाम। भारत संघ, (2018) 14 एस. सी. सी. 289 77 एक्स वी। भारत संघ, (2020) 19 एस. सी. सी. 806 78 जेड वी. बिहार राज्य, (2018) 11 एस. सी. सी. 572; X v. भारत संघ, (2020) 19 एस. सी. सी. 806 एक्स. वी.

पीआर। एसईसीवाई। , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग। , जी. एन. सी. टी. दिल्ली [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

ऐसे मामले जो अदालत में जाते हैं। हालाँकि इन मामलों में निर्णयों ने गंभीर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य नुकसान और उल्लंघन को मान्यता दी

अवांछित गर्भधारण को समाप्त करने के विकल्प से इनकार करने के कारण महिलाओं के अधिकारों के कारण, व्यक्तिगत याचिकाकर्ता को प्रदान की गई राहत काफी भिन्न थी।

सामाजिक संदर्भ। मानसिक स्वास्थ्य शब्द की हमारी समझ चिकित्सा शब्दों या चिकित्सा भाषा तक ही सीमित नहीं हो सकती है, लेकिन इसे आम बोलचाल में समझा जाना चाहिए। एम. टी. पी. अधिनियम स्वयं महिला के स्वास्थ्य के लिए चोट की व्याख्या करते समय उसके आसपास के वातावरण को देखने की आवश्यकता को पहचानता है। धारा 3 (3) में कहा गया है कि "उसके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर चोट" की व्याख्या करते समय, गर्भवती महिला के वास्तविक या यथोचित रूप से पूर्वानुमेय वातावरण को ध्यान में रखा जा सकता है। ए का विचार महिला का "वास्तविक या यथोचित रूप से पूर्वानुमेय वातावरण" प्रासंगिक हो जाता है, विशेष रूप से जब एक महिला के मानसिक स्वास्थ्य के लिए चोट के जोखिम का निर्धारण किया जाता है।

65. उच्च न्यायालयों के कई निर्णय हुए हैं जहाँ मानसिक स्वास्थ्य वाक्यांश की एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या की गई है जैसा कि उच्च न्यायालयों में उपयोग किया गया है।

एम. टी. पी. अधिनियम उच्च न्यायालय में अपने स्वयं के प्रस्ताव पर v. महाराष्ट्र राज्य, 80 बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सही निर्णय दिया कि एक महिला को किसी भी अवांछित गर्भावस्था को जारी रखने के लिए मजबूर करना एक महिला की शारीरिक अखंडता का उल्लंघन करता है, उसके मानसिक आघात को बढ़ाता है और उसके शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालता है। गर्भावस्था से होने वाले तत्काल सामाजिक, वित्तीय और अन्य परिणामों के कारण महिला का मानसिक स्वास्थ्य।

66. सिद्रा महबूब शेख बनाम। महाराष्ट्र राज्य, 8 1

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को चिकित्सा से गुजरने की अनुमति दी उसकी गर्भावस्था को इस आधार पर समाप्त करना कि उसे अपनी अवांछित गर्भावस्था जारी रखने के लिए मजबूर करना दमनकारी होगा, और संभवतः

79 विश्व स्वास्थ्य संगठन, "मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देनाः अवधारणाएँ, उभरते साक्ष्य, अभ्यास (सारांश रिपोर्ट) "(2004)

80 2016 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 8426

81 2021 एससीसी ऑनलाइन बम 1839 [2022] 7 एस. सी. आर.

उसके मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर चोट पहुँचाना। याचिकाकर्ता, एक पीड़ित

घरेलू हिंसा ने उसे गर्भपात कराने की अनुमति देने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था क्योंकि उसने दलील दी थी कि वह अपने पति से वित्तीय और भावनात्मक समर्थन के अभाव में बच्चे की परवरिश नहीं करना चाहती है; और अपने दम पर बच्चे की परवरिश करना बोझिल होगा। उच्च न्यायालय ने कहा कि "किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति एक छोर पर अच्छा मानसिक स्वास्थ्य और दूसरे छोर पर निदान योग्य मानसिक बीमारी के साथ एक निरंतरता है। इसलिए, मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक बीमारी, हालांकि एक जैसी लगती हैं, लेकिन एक जैसी नहीं हैं। " 82

67. हम दो अन्य में अपनाई गई सही व्याख्या पर ध्यान देते हैं।

बम्बई उच्च न्यायालय के निर्णय, जहाँ न्यायालय ने अविवाहित याचिकाकर्ताओं को गर्भपात की अनुमति दी, एक महिला के मानसिक स्वास्थ्य पर अवांछित गर्भावस्था के प्रभावों को उद्देश्यपूर्ण रूप से समझने के बाद। XYZ v में। महाराष्ट्र राज्य में, लगभग 18 वर्ष की आयु के एक अविवाहित याचिकाकर्ता को उसकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति और उसके मानसिक स्वास्थ्य पर गर्भावस्था के जारी रहने के प्रभाव पर विचार करने के बाद 26 वें सप्ताह में उसकी गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी गई थी। सिद्धि विश्वनाथ शेलर बनाम। महाराष्ट्र राज्य, 84 एक तेइस वर्षीय याचिकाकर्ता

उसने तर्क दिया कि वह एक अविवाहित माँ बनने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थी और उसने लगभग बीस-तीन सप्ताह की अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने की मांग की। याचिकाकर्ता एक सहमति वाले संबंध में लगी हुई थी, लेकिन तब से वह अपने साथी से अलग हो गई थी, और इस प्रकार उसे समाप्त करना चाहती थी।

अवांछित गर्भावस्था। गर्भपात की अनुमति देते हुए, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कहा कि गर्भावस्था जारी रखने पर जोर देने से याचिकाकर्ता के स्वास्थ्य को गंभीर चोट लगेगी। उच्च न्यायालय ने महिला की वास्तविक और पूर्वानुमेय दलीलों पर ध्यान दिया पर्यावरण।

वी. नियम 3 बी का निर्माण

68. नियम 3 बी तैयार करके, विधायिका का उद्देश्य महिलाओं के गर्भपात तक पहुँचने में असमर्थ होने की शरारत को हल करना था, जब उनके जीवन में उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे, और गर्भावस्था की अवधि बीस सप्ताह से अधिक होने के बाद बच्चा पैदा करने का उनका निर्णय प्रभावित हुआ था। द मिनट्स ऑफ द

एम. टी. पी. नियमों पर विचार-विमर्श और मसौदा तैयार करने के लिए 22 जून 2021 को आयोजित विशेषज्ञ समिति की बैठक, अन्य बातों के साथ-साथ,

82 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 1839, पैराग्राफ 22 पर 83 2021 के डब्ल्यू. पी. (एल) 21977 में 6 अक्टूबर 2021 का निर्णय (बॉम्बे उच्च न्यायालय) 84 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 11672 एक्स. वी.

पीआर। एसईसीवाई। , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग। , जी. एन. सी. टी. दिल्ली [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

आपात स्थिति और/या प्राकृतिक आपदाएँ; घरेलू हिंसा/लिंग आधारित हिंसा आदि की शिकार महिलाएँ। विशेषज्ञ के सदस्य समिति ने नियम 3 बी में महिलाओं को शामिल करने का आग्रह किया, जो अक्सर गर्भावस्था का खुलासा करने या इसके जारी रहने के बारे में निर्णय लेने में देरी करती हैं।

विभिन्न कारणों से।

69. महिलाओं की प्रत्येक श्रेणी के माध्यम से चलने वाला सामान्य धागा

नियम 3 बी में उल्लेख किया गया है कि महिला अपनी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या वित्तीय स्थिति के संबंध में एक अनूठी और अक्सर कठिन परिस्थिति में होती है। नियम 3 बी में सभी अलग-अलग श्रेणियां महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं जो

बीस सप्ताह के बाद गर्भपात की मांग करें या तो गर्भावस्था को पहचानने में देरी के कारण, या उनके वातावरण में किसी अन्य परिवर्तन के कारण जो इस बात पर उनके निर्णय को प्रभावित करता है कि गर्भावस्था वांछित है या अवांछित। कानून उन असंख्य तरीकों को मान्यता देता है जिनमें गर्भावस्था ऐसी स्थितियों में परेशानी का कारण बन सकती है और उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर चोट पहुंचा सकती है। यह ऐसी महिलाओं को एक समाप्ति की तलाश में अक्षांश देता है

गर्भावस्था की अवधि को बढ़ाकर अवांछित गर्भावस्था, जिसके लिए गर्भपात कानूनी रूप से अनुमत है।

70. नियम 3 बी (ए) इस वास्तविकता की स्वीकृति पर आधारित है कि यौन उत्पीड़न, बलात्कार या अनाचार से बचे लोगों को अत्यधिक कलंक का सामना करना पड़ सकता है यदि वे अपने हमले के तथ्य को परिवार के सदस्यों सहित दूसरों के साथ साझा करते हैं। यह कोई रहस्य नहीं है कि भारत में यौन हिंसा को शर्म की संस्कृति घेरती है। जीवित बचे लोग अक्सर उन पर की गई हिंसा के बारे में बोलने में संकोच करते हैं। यह दोगुना मामला अनाचार यौन हमले या बलात्कार के पीड़ितों के मामले में है, जिनके करीबी रिश्तेदार महिला पर अपनी शक्ति और अधिकार का दुरुपयोग करते हैं और परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह विश्वास करने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि अपराधी (यानी, उनका रिश्तेदार) यौन हिंसा का दोषी है। नाबालिगों सहित कई जीवित बचे लोगों को यह भी पता नहीं होगा कि गर्भावस्था बलात्कार का एक संभावित परिणाम है। इसलिए, इस तथ्य को प्रकट करने में देरी कि एक पुरुष ने उनके साथ बलात्कार किया है, गर्भावस्था का पता लगाने में देरी का कारण बन सकता है। वैकल्पिक रूप से, विचाराधीन महिला समय पर चिकित्सा सुविधाओं तक पहुँचने में असमर्थ हो सकती है और इसलिए बीस सप्ताह पूरे होने से पहले खुद को गर्भावस्था को समाप्त करने में असमर्थ पा सकती है।

71. विवाहित महिलाएँ भी यौन उत्पीड़न या बलात्कार से बचे लोगों के वर्ग का हिस्सा हो सकती हैं। 'बलात्कार' शब्द का सामान्य अर्थ किसी व्यक्ति के साथ उनकी सहमति के बिना या उनकी इच्छा के खिलाफ यौन संबंध है, भले ही ऐसा जबरन संभोग विवाह के संदर्भ में हो। इसके परिणामस्वरूप एक महिला गर्भवती हो सकती है

उसके पति द्वारा उस पर सहमति से यौन संबंध बनाया गया। हम यह स्वीकार नहीं करेंगे कि अंतरंग साथी हिंसा एक वास्तविकता है और बलात्कार का रूप ले सकती है। यह गलत धारणा कि अजनबी विशेष रूप से या लगभग विशेष रूप से लिंग और लिंग आधारित हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं, एक गहरा खेदजनक है। परिवार के संदर्भ में लिंग और लिंग आधारित हिंसा (अपने सभी रूपों में) लंबे समय से कई महिलाओं के जीवन के अनुभवों का एक हिस्सा रही है। 72. मौजूदा भारतीय कानून पारिवारिक हिंसा के विभिन्न रूपों को मान्यता देते हैं-गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक अधिनियम 1994।

दहेज देने और लेने (आर्थिक और सामाजिक हिंसा का एक रूप) को अपराध घोषित करता है। परिवार के सदस्यों द्वारा शारीरिक शोषण या यौन शोषण और कन्या भ्रूण हत्या को भी आई. पी. सी. के तहत अपराध माना जाता है। वैवाहिक हमला केवल कार्यों की एक लंबी सूची का एक हिस्सा है जो परिवार के संदर्भ में हिंसा के बराबर है।

73. यह अकल्पनीय नहीं है कि विवाहित महिलाएं गर्भवती हो जाती हैं।

उनके पतियों द्वारा उनके साथ "बलात्कार" करने के परिणामस्वरूप। जब कोई शादी करने का फैसला करता है तो यौन हिंसा की प्रकृति और सहमति की रूपरेखा में कोई बदलाव नहीं होता है। विवाह की संस्था इस सवाल के जवाब को प्रभावित नहीं करती है कि क्या एक महिला ने यौन संबंधों के लिए सहमति दी है। यदि महिला अपमानजनक संबंध में है, तो उसे बहुत नुकसान हो सकता है।

चिकित्सा संसाधनों तक पहुँचने या डॉक्टरों से परामर्श करने में कठिनाई।

74. यह केवल एक कानूनी कल्पना है कि आई. पी. सी. की धारा 375 का अपवाद 2 वैवाहिक बलात्कार को बलात्कार के दायरे से हटा देता है, जैसा कि आई. पी. सी. में परिभाषित किया गया है।

धारा 375। एम. टी. पी. अधिनियम के तहत "बलात्कार" और उसके तहत बनाए गए नियमों को वैवाहिक बलात्कार को शामिल करने के रूप में समझने से आई. पी. सी. की धारा 375 के अपवाद 2 को हटाने या आई. पी. सी. की धारा 375 को बदलने का प्रभाव नहीं पड़ता है।

आई. पी. सी. में परिभाषित बलात्कार के अपराध की रूपरेखा। चूंकि आई. पी. सी. की धारा 375 के अपवाद 2 को चुनौती इस न्यायालय की एक अलग पीठ के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए हम संवैधानिक वैधता को उस या किसी अन्य उचित कार्यवाही में तय करने के लिए छोड़ देंगे।

एक्स वी। पीआर। एसईसीवाई। , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग। , जी. एन. सी. टी. दिल्ली [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

75. आई. पी. सी. की धारा 375 के अपवाद 2 के बावजूद, नियम 3 बी (ए) में "यौन हमला" या "बलात्कार" शब्दों के अर्थ में पति द्वारा अपनी पत्नी पर किए गए यौन हमले या बलात्कार का कार्य शामिल है। द. इसलिए बलात्कार के अर्थ को केवल एम. टी. पी. अधिनियम और उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम और विनियमों के उद्देश्यों के लिए वैवाहिक बलात्कार को शामिल करने के रूप में समझा जाना चाहिए। किसी भी अन्य व्याख्या का प्रभाव एक महिला को एक ऐसे साथी के साथ बच्चे को जन्म देने और उसका पालन-पोषण करने के लिए मजबूर करने का होगा जो उसे मानसिक और शारीरिक नुकसान पहुंचाता है।

76. नियम 3 बी (ए) का लाभ उठाने के लिए महिला को औपचारिक कानूनी कार्यवाही का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है।

यौन उत्पीड़न, बलात्कार या अनाचार का तथ्य। न तो धारा 3 (2) के स्पष्टीकरण 2 और न ही नियम 3 बी (ए) के तहत अपराधी को दोषी ठहराए जाने की आवश्यकता है। आई. पी. सी. या उस समय से पहले लागू कोई अन्य आपराधिक कानून

गर्भवती महिला गर्भपात करा सकती है। इसके अलावा, यह कोई आवश्यकता नहीं है कि एफ. आई. आर. दर्ज की जानी चाहिए या बलात्कार के आरोप को अदालत या किसी अन्य मंच पर साबित किया जाना चाहिए, इससे पहले कि इसे एम. टी. पी. अधिनियम के उद्देश्यों के लिए सही माना जा सके। ऐसी आवश्यकता एम. टी. पी. अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य के विपरीत होगी। वास्तव में, स्पष्टीकरण 2 मानसिक आघात के रूप में कानूनी धारणा को प्रेरित करता है "जहां गर्भवती महिला द्वारा किसी भी गर्भावस्था को बलात्कार के कारण होने का आरोप लगाया जाता है।

77. नियम 3 बी (बी) में महिलाओं की श्रेणी में नाबालिगों को शामिल किया गया है।

85 आई. पी. सी. की धारा 375 का अपवाद 2 देखें-एक पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध, पत्नी की उम्र पंद्रह साल से कम नहीं है, बलात्कार नहीं है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि स्वतंत्र विचार v. भारत संघ (2017) 10 एस. सी. सी. 800, इस न्यायालय ने धारा 375 के अपवाद 2 को इस तरह से पढ़ा कि "अठारह वर्ष" शब्दों ने "पंद्रह वर्ष" शब्दों को बदल दिया जिससे महिला की वैवाहिक स्थिति के बावजूद सहमति की आयु बढ़कर अठारह वर्ष हो गई।

गर्भावस्था जैसे परिणाम। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विधायिका जीवित थी

78. देश में यौन स्वास्थ्य शिक्षा की अनुपस्थिति का मतलब है कि अधिकांश किशोर इस बात से अनजान हैं कि प्रजनन प्रणाली कैसी है। कार्य के साथ-साथ गर्भावस्था को रोकने के लिए गर्भनिरोधक उपकरणों और विधियों को कैसे लगाया जा सकता है। पूर्व-वैवाहिक यौन संबंध के आसपास की वर्जनाएँ युवा वयस्कों को गर्भ निरोधकों तक पहुँचने का प्रयास करने से रोकती हैं। उन्हीं वर्जनाओं का मतलब है कि जिन युवा लड़कियों ने इस तथ्य का पता लगाया है कि वे गर्भवती हैं, वे अपने माता-पिता या अभिभावकों को यह बताने में संकोच करती हैं, जो चिकित्सा सहायता और हस्तक्षेप प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

79. इसके अलावा, पॉक्सो अधिनियम की धारा 19 (1) की आवश्यकता है कि कोई भी व्यक्ति, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है, जिसे आयोग की जानकारी है।

पॉक्सो अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध, या ऐसी आशंका कि ऐसा अपराध किया जा सकता है, विशेष किशोर पुलिस इकाई या स्थानीय पुलिस को जानकारी प्रदान करना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। पॉक्सो अधिनियम की धारा 19 (2) में कहा गया है कि धारा 19 (1) के तहत ऐसी प्रत्येक रिपोर्ट को एक प्रविष्टि संख्या के रूप में अंकित किया जाएगा और लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा, सूचना देने वाले को पढ़ा जाएगा और पुलिस इकाई द्वारा रखी जाने वाली पुस्तक में दर्ज किया जाएगा। धारा 19 द्वारा अनिवार्य रूप से रिपोर्ट करने में विफलता पॉक्सो अधिनियम की धारा 21 के तहत एक दंडनीय अपराध है। न तो पॉक्सो अधिनियम और न ही यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण नियम 2012 धारा 19 (1) के तहत अनिवार्य रिपोर्ट के लिए एक टेम्पलेट या प्रारूप निर्धारित करते हैं।

80. जब कोई नाबालिग सहमति से यौन गतिविधि से उत्पन्न गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति के लिए आर. एम. पी. से संपर्क करता है, तो आर. एम. पी.

पॉक्सो अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत संबंधित अधिकारियों को किए गए अपराध से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए बाध्य। एक किशोर और उसके अभिभावक अनिवार्य रिपोर्टिंग आवश्यकता से सावधान हो सकते हैं क्योंकि वे खुद को कानूनी नियमों के साथ उलझाना नहीं चाहते हैं। प्रक्रिया। नाबालिगों और उनके अभिभावकों के सामने दो विकल्प होने की संभावना है-एक, आर. एम. पी. से संपर्क करें और संभवतः पॉक्सो अधिनियम के तहत आपराधिक कार्यवाही में शामिल हों, या दो, गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति के लिए एक अयोग्य डॉक्टर से संपर्क करें। अगर कोई आग्रह है

पॉक्सो की धारा 19 (1) के तहत रिपोर्ट में नाबालिग के नाम का खुलासा, नाबालिगों को एम. टी. पी. अधिनियम के तहत अपनी गर्भावस्था की सुरक्षित समाप्ति के लिए आर. एम. पी. की तलाश करने की संभावना कम हो सकती है।

81. यह सुनिश्चित करने के लिए कि नियम 3 बी (बी) का लाभ 18 वर्ष से कम उम्र की उन सभी महिलाओं को दिया जाए जो सहमति से यौन गतिविधि में संलग्न हैं।

पीआर। एसईसीवाई। , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग। , जीएनसीटी

दिल्ली [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

पॉक्सो अधिनियम और एम. टी. पी. दोनों को सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ना आवश्यक है।

एम. टी. पी. अधिनियम के तहत गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति की मांग करने वाले नाबालिग को किसी भी आपराधिक कार्यवाही में नाबालिग की पहचान का खुलासा करने से भी छूट है जो पॉक्सो अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत आर. एम. पी. की रिपोर्ट से हो सकती है। इस तरह की व्याख्या पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध की अनिवार्य रूप से रिपोर्ट करने के लिए आर. एम. पी. के वैधानिक दायित्व और गोपनीयता के अधिकारों के बीच किसी भी संघर्ष को रोकेगी और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नाबालिग की प्रजनन स्वायत्तता।

यह संभवतः नाबालिगों को सुरक्षित गर्भपात से वंचित करने का विधायिका का इरादा नहीं हो सकता है।

सदस्य। ऐसे मामलों में, नाबालिग लड़कियां (अपनी कम उम्र के कारण) इस बात से अनजान हो सकती हैं कि दुर्व्यवहार करने वाला या बलात्कारी उनके साथ किस तरह का दुर्व्यवहार कर रहा है। ऐसे मामलों में, नाबालिग लड़कियों के अभिभावक को देर से गर्भावस्था के तथ्य का पता चल सकता है, जिससे नियम 3 बी द्वारा दी गई छूट की आवश्यकता होती है। 83. नियम 3 बी (डी) में महिलाओं की विशेष श्रेणी के भीतर शारीरिक रूप से अक्षम महिलाओं को शामिल किया गया है। उन्हें अतिरिक्त जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है।

अपनी अक्षमताओं से उत्पन्न होने और गर्भावस्था को वहन करने में असमर्थ होने के कारण

अवधि। वे किसी भी व्यक्तिगत कठिनाइयों (मानसिक या शारीरिक) के कारण अपनी गर्भावस्था को अवधि तक ले जाने के खिलाफ भी निर्णय ले सकते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनकी विकलांगता से उत्पन्न हो सकती है।

84. जो महिलाएँ मानसिक रूप से बीमार हैं ("मानसिक मंदता" सहित) वे नियम 3 बी (ई) के दायरे में आती हैं। यह महिलाओं की सभी श्रेणियों तक फैला हुआ है जो

मानसिक बीमारी है। मानसिक रोगों से पीड़ित महिलाओं को अपनी गर्भावस्था के तथ्य का एहसास हो सकता है या वे निर्धारित कर सकती हैं कि वे इसे सामान्य से देर से लेना नहीं चाहती हैं। इसके अलावा, पुरुष अक्सर मानसिक बीमारियों वाली महिलाओं का यौन उत्पीड़न करते हैं, खासकर अगर उन्हें बोलने या संचार में असमर्थता है, या वे मनोरोग देखभाल सुविधाओं में रहते हैं। उनकी बोलने/संचार अक्षमता उन्हें यह व्यक्त करने से रोक सकती है कि किसी ने उनके साथ बलात्कार किया है। इससे गर्भावस्था की खोज और उसकी समाप्ति में देरी हो सकती है।

एक्स वी में यह मामला पाया गया था। भारत संघ, 87 जहाँ डाउन सिंड्रोम से पीड़ित एक महिला के साथ एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा बलात्कार किया गया था। उसका।

अभिभावक को बीस सप्ताह बीतने के बाद गर्भावस्था का पता चला।

85. नियम 3 बी (एफ) में महिलाओं का वह वर्ग शामिल है जहां भ्रूण विसंगतियों में जीवन के साथ असंगत होने का पर्याप्त जोखिम होता है या जहां बच्चा, यदि जन्म लेते हैं, तो शारीरिक या मानसिक "असामान्यताओं" से पीड़ित हो सकते हैं और गंभीर रूप से विकलांग हो सकते हैं।

86. नियम 3 बी (जी) गर्भवती महिलाओं के हिसाब से गर्भवती महिला की भौतिक परिस्थितियों में बदलाव को समझता है।

"मानवीय स्थितियों या आपदा या आपातकालीन स्थितियों" में। शरणार्थियों

जिन्हें किसी भी कारण से अपने घरों से भागना पड़ा है या जो खुद को प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा का शिकार पाते हैं, या अन्यथा किसी आपात स्थिति में होते हैं, वे इस नियम के दायरे में आते हैं। चिकित्सा सुविधाओं तक पहुँचने में कठिनाई के कारण उन्हें शायद यह एहसास न हो कि वे गर्भवती हैं। उदाहरण के लिए, सिद्धि विश्वनाथ शेलर (ऊपर) में, याचिकाकर्ता कोविड-19 महामारी के आलोक में सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के कारण डॉक्टर के पास जाने में असमर्थ था और बीस सप्ताह बीतने के बाद ही उसे अपनी गर्भावस्था के बारे में पता चला।

87. इसके अलावा, बच्चे को जन्म देने और उसकी परवरिश करने का निर्णय अनिवार्य रूप से किसी की भौतिक परिस्थितियों से सूचित होता है। इससे हमारा मतलब है कि किसी महिला या उसके परिवार की स्थितिजन्य, सामाजिक और वित्तीय परिस्थितियाँ गर्भावस्था को अवधि तक ले जाने के उसके निर्णय के लिए प्रासंगिक हो सकती हैं। जो लोग आपात स्थिति या आपदाओं का शिकार होते हैं, वे अप्रत्याशित रूप से हो सकते हैं खुद को बिना घर के या अपने परिवारों से अलग पाते हैं। हो सकता है कि उन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया हो। उनकी आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और वे अपने जीवन में अन्य गहरे प्रभाव वाले परिवर्तनों से गुजर सकते हैं, दोनों

भौतिक और मनोवैज्ञानिक। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उन्हें गंभीर चोटें आई हैं जो उनकी गतिशीलता या जीवन की गुणवत्ता को बदल देती हैं। आपदा, आपातकाल या मानवीय संकट के बाद होने वाले असंख्य परिवर्तनों को पूरी तरह से सूचीबद्ध या सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता है।

कल्पना की गई। प्रत्येक महिला की परिस्थितियाँ अद्वितीय होती हैं और हमने केवल नियम 3 बी (जी) में बताई गई आपदाओं के कई संभावित नतीजों में से कुछ को (उदाहरण के रूप में) सूचीबद्ध किया है।

परिस्थितियाँ। हालाँकि, यह परिवर्तन स्पष्ट रूप से प्रत्येक को प्रभावित कर सकता है 87 2017 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 9334 एक्स. वी.

पीआर। एसईसीवाई। , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग। , जी. एन. सी. टी. दिल्ली [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

89. नियम 3 बी (सी) में कहा गया है कि "चल रही गर्भावस्था (विधवा और तलाक) के दौरान वैवाहिक स्थिति में परिवर्तन" महिलाओं को पात्र बनाता है। धारा 3 (2) (बी) के तहत उनकी गर्भावस्था की समाप्ति के लिए। स्त्री के शारीरिक या शारीरिक विकास पर अवांछित गर्भावस्था के जारी रहने का प्रभाव।

मानसिक स्वास्थ्य को उसके वास्तविक या यथोचित रूप से पूर्वानुमेय वातावरण में काम करने वाले विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसा कि धारा 3 (3) में प्रदान किया गया है। नियम 3 बी (सी) के पीछे का तर्क नियम 3 बी (जी) के तर्क से तुलनीय है, यानी चल रही गर्भावस्था के दौरान एक महिला की भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन। 90. नियम 3 बी (सी) इस तथ्य की व्यापक मान्यता पर आधारित है कि एक महिला की वैवाहिक स्थिति में परिवर्तन अक्सर महिला में परिवर्तन का कारण बनता है।

भौतिक परिस्थितियाँ। चालू गर्भावस्था के दौरान भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन तब उत्पन्न हो सकता है जब एक विवाहित महिला अपने पति को तलाक देती है या जब वह मर जाता है, जैसा कि नियम 3 बी (सी) में कोष्ठक में दिए गए उदाहरणों से पता चलता है। यह तथ्य कि विधवा और तलाक का उल्लेख नियम 3 बी (सी) के अंतिम छोर पर कोष्ठकों में किया गया है, नियम की हमारी व्याख्या में बाधा नहीं डालता है क्योंकि वे उदाहरणात्मक हैं।

92. महिलाएं अपने साथी से अलग होने (नियम 3 बी (सी)), भ्रूण की "असामान्यताओं" (नियम 3 बी (एफ)) का पता लगाने, या आपदा या आपातकाल (नियम 3 बी (एफ)) के अलावा अन्य कारणों से अपने जीवन में भारी बदलाव से गुजर सकती हैं। 3 बी (जी))। वे खुद को महिलाओं की अन्य श्रेणियों [2022] 7 एस. सी. आर. के समान स्थिति (सामाजिक, मानसिक, आर्थिक या शारीरिक रूप से भी) में पा सकते हैं।

नियम 3 बी में सूचीबद्ध है लेकिन अन्य कारणों से। उदाहरण के लिए, एक महिला के लिए यह महसूस करना अनसुना नहीं है कि वह बीस सप्ताह बीतने के बाद ही गर्भवती है। 88 अन्य उदाहरण हैं यदि कोई महिला अपनी नौकरी खो देती है और अब आर्थिक रूप से सुरक्षित नहीं है, या यदि उसके खिलाफ घरेलू हिंसा की जाती है, 89 3 9 या यदि उसके पास अचानक आश्रित हैं। इसके अलावा, एक महिला को अचानक एक तीव्र या पुरानी या जानलेवा बीमारी का पता चल सकता है, जो गर्भावस्था को अवधि तक ले जाने के उसके निर्णय को प्रभावित करता है। यदि नियम 3 बी (सी) की व्याख्या इस तरह की जाए कि इसके लाभ केवल विवाहित महिलाओं को ही मिलें, तो यह रूढ़िवादी और सामाजिक रूप से प्रचलित धारणा को कायम रखेगा कि केवल विवाहित महिलाएं ही यौन संभोग में लिप्त होती हैं, और इसके परिणामस्वरूप, कानूनी लाभ केवल उन्हें ही मिलने चाहिए। विवाहित और एकल महिलाओं के बीच यह कृत्रिम अंतर संवैधानिक रूप से टिकाऊ नहीं है। कानून में लाभों का विस्तार

एकल और विवाहित महिलाओं दोनों के लिए समान रूप से। 93. इस तथ्य की मान्यता कि एक महिला की भौतिक परिस्थिति में परिवर्तन हो सकता है, नियम 3 बी (सी), नियम 3 बी (जी) और नियम 3 बी (एफ) को सक्रिय करता है। हालाँकि, नियम 3 बी उन सभी संभावित परिवर्तनों को सूचीबद्ध नहीं करता है जिनसे एक महिला की भौतिक परिस्थितियाँ गुजर सकती हैं। यह केवल एक महिला की सामग्री में कुछ संभावित परिवर्तनों को निर्दिष्ट करता है।

धारा 3 (2) (बी) और नियम 3 बी का लाभ केवल उन महिलाओं तक सीमित रखें जो नियम 3 बी में उल्लिखित सीमित स्थितियों में उनके जीवन की परिस्थितियों में भौतिक परिवर्तन का सामना करना पड़ सकता है। बल्कि, नियम 3 बी द्वारा दिए गए लाभ को उन सभी महिलाओं के लिए विस्तार के रूप में समझा जाना चाहिए जो भौतिक परिस्थितियों के परिवर्तन से गुजरती हैं।

94. विधायिका या अदालतों के लिए यह संभव नहीं है कि वे प्रत्येक संभावित घटना को सूचीबद्ध करें जो सामग्री के परिवर्तन के रूप में योग्य होगी।

परिस्थितियाँ। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि प्रत्येक मामले का परीक्षण इस मानक के खिलाफ उन अद्वितीय तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए जिनमें एक गर्भवती महिला खुद को पाती है।

एफ. की व्याख्या को सक्रिय करने वाले संवैधानिक मूल्य

एम. टी. पी. अधिनियम और एम. टी. पी. नियम

88 सिद्धि विश्वनाथ शेलर बनाम। महाराष्ट्र राज्य, 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 11672 89 सिद्रा महबूब शेख बनाम। महाराष्ट्र राज्य, 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 1839 X v.

पीआर। एसईसीवाई। , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग। , जीएनसीटी

दिल्ली [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

95. कुछ संवैधानिक मूल्य, जैसे प्रजनन का अधिकार

स्वायत्तता, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, समानता का अधिकार और निजता के अधिकार ने एम. टी. पी. अधिनियम और एम. टी. पी. नियमों की हमारी व्याख्या को सक्रिय कर दिया है। इन मूल्यों की संक्षिप्त चर्चा नीचे की गई है।

आई. प्रजनन स्वायत्तता का अधिकार

96. प्रजनन अधिकारों का दायरा महिलाओं के बच्चे पैदा करने या न करने के अधिकार तक ही सीमित नहीं है। इसमें स्वतंत्रताओं और अधिकारों का समूह भी शामिल है जो एक महिला को अपने यौन और प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित सभी मामलों पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। प्रजनन अधिकारों में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार और गर्भनिरोधक और यौन स्वास्थ्य के बारे में जानकारी, यह तय करने का अधिकार कि क्या और किस प्रकार के गर्भ निरोधकों का उपयोग करना है, यह चुनने का अधिकार कि क्या और कब करना है, शामिल हैं।

ये अधिकार, जबरदस्ती या हिंसा से मुक्त हैं। 97. ज़किया लूना ने 2020 के एक प्रकाशन में तर्क दिया है कि प्रजनन जैविक और राजनीतिक दोनों है। लून के अनुसार, यह जैविक है क्योंकि

भौतिक शरीर प्रजनन करते हैं, और यह राजनीतिक है क्योंकि प्रजनन करने या न करने का निर्णय केवल एक निजी मामला नहीं है। यह निर्णय व्यापक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। परिवार और आम तौर पर समाज में एक महिला की भूमिका और स्थिति अक्सर बच्चे पैदा करने और अगली पीढ़ियों की निरंतरता सुनिश्चित करने से जुड़ी होती है। 98. इसके साथ, हम यह भी जोड़ सकते हैं कि एक महिला अक्सर परिवार, समुदाय, धर्म और जाति की जटिल धारणाओं में उलझी रहती है। इस तरह के बाहरी सामाजिक

किसी तीसरे पक्ष की सहमति या प्राधिकरण के बिना गर्भपात कराने या न कराने का चयन करने का आंतरिक अधिकार है। 9 0 ज़किया लुना, मानव अधिकारों के रूप में प्रतिनिधि अधिकारः प्रजनन न्याय के लिए रंग और लड़ाई की महिलाएँ (एन. वाई. यू. प्रेस, 2020)

99. प्रजनन स्वायत्तता का अधिकार निकटता से जुड़ा हुआ है

शारीरिक स्वायत्तता का अधिकार। जैसा कि शब्द से ही पता चलता है, शारीरिक स्वायत्तता किसी के शरीर के बारे में निर्णय लेने का अधिकार है। एक के परिणाम

एक महिला के शरीर के साथ-साथ उसके दिमाग पर अवांछित गर्भावस्था को कम करके नहीं आंका जा सकता है। भ्रूण गर्भवती महिला के शरीर पर निर्भर करता है

जन्म लेने तक पोषण और पोषण। गर्भावस्था की जैविक प्रक्रिया महिला के शरीर को इसकी अनुमति देने के लिए बदल देती है। महिला को सूजन, शरीर में दर्द, संकुचन, सुबह की बीमारी और सीमित गतिशीलता का अनुभव हो सकता है, जो कई दुष्प्रभावों में से कुछ हैं। इसके अलावा, जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं जो महिला के जीवन के लिए खतरा पैदा करती हैं। गर्भावस्था के दुष्प्रभावों का केवल वर्णन संभवतः एक महिला को अवांछित गर्भावस्था जारी रखने के लिए मजबूर करने की आंतरिक छवि के साथ न्याय नहीं कर सकता है। इसलिए, गर्भावस्था को उसके पूर्ण कार्यकाल तक ले जाने या उसे समाप्त करने का निर्णय गर्भवती महिला की शारीरिक स्वायत्तता और निर्णयात्मक स्वायत्तता के अधिकार में दृढ़ता से निहित है।

100. के एस पुट्टास्वामी बनाम। भारत संघ, 9 1 इस न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ ने निजता के अधिकार को संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार के रूप में मान्यता दी।

संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अधिकार। पुट्टास्वामी (ऊपर) में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि निजता का अधिकार व्यक्तियों को शरीर और मन पर स्वायत्तता बनाए रखने और प्रयोग करने में सक्षम बनाता है। व्यक्ति की स्वायत्तता को "जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लेने की क्षमता" के रूप में परिभाषित किया गया था। " 9 2 चार न्यायाधीशों की ओर से दिए गए फैसले में निजता के अधिकार का वर्णन निम्नलिखित शब्दों में किया गया हैः

" 297. ..... गोपनीयता के लिए एक निजी स्थान के आरक्षण को अभिनिर्धारित करता है

व्यक्ति, जिसे अकेले रहने के अधिकार के रूप में वर्णित किया गया है। अवधारणा

निजता की धारणा व्यक्ति को जोर देने में सक्षम बनाती है और मानव तत्व को नियंत्रित करें जो उससे अविभाज्य है

व्यक्ति का व्यक्तित्व। अनुल्लंघनीय प्रकृति

मानव व्यक्तित्व बनाने की क्षमता में प्रकट होता है मानव जीवन से जुड़े मामलों पर निर्णय। स्वायत्तता

व्यक्ति उन मामलों से जुड़ा हुआ है जो हो सकते हैं

निजी रखा गया। ये ऐसी चिंताएँ हैं जिन पर एक

निजता की वैध अपेक्षा। शरीर और मन ये मानव व्यक्तित्व के अविभाज्य तत्व हैं। द.

91 (2017) 10 एससीसी 1 92 के. एस. पुट्टास्वामी बनाम। भारत संघ (2017) 10 एस. सी. सी. 1, अनुच्छेद 298 पर ("पुट्टास्वामी")

एक्स वी। पीआर। एसईसीवाई। , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग। , जी. एन. सी. टी. दिल्ली [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

शरीर की अखंडता और मन की पवित्रता मौजूद हो सकती है।

इस आधार पर कि प्रत्येक व्यक्ति के पास एक

अविभाज्य क्षमता और एक निजी स्थान को संरक्षित करने का अधिकार

जिसे मानव व्यक्तित्व विकसित कर सकता है। क्षमता के बिना

चुनाव करने के लिए, व्यक्तित्व की अनुल्लंघनीयता में होगी

संदेह "।

(जोर दिया गया)

101. महत्वपूर्ण रूप से, पुट्टास्वामी (ऊपर) भी पहलुओं से संबंधित है

जो निजता के दायरे में आते हैं "। 93 इस न्यायालय ने शारीरिक अखंडता के अधिकार को निजता के अधिकार के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में मान्यता दी। पुट्टास्वामी (ऊपर) ने सुचिता श्रीवास्तव बनाम पर विचार किया। चंडीगढ़ प्रशासन 94 यह दोहराता है कि एम. टी. पी. अधिनियम के तहत गर्भावस्था को समाप्त करने का एक महिला का वैधानिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रजनन विकल्प बनाने के संवैधानिक अधिकार से संबंधित है। 95

102. सुचिता श्रीवास्तव (ऊपर) में इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से मान्यता दी

प्रजनन स्वायत्तता की अवधारणा। इस मामले में, पीड़ित, लगभग 19 साल की एक अनाथ महिला, जो मानसिक रूप से मंदबुद्धि थी, एक बलात्कार के परिणामस्वरूप गर्भवती हो गई, जो उस समय हुआ जब वह एक सरकारी कल्याणकारी संस्थान में कैदी थी। उसकी खोज के बाद

चंडीगढ़ प्रशासन ने उसकी गर्भावस्था को समाप्त करने की मंजूरी के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने तथ्यों की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ निकाय का गठन किया। विशेषज्ञ निकाय ने दर्ज किया कि पीड़ित ने बच्चे को जन्म देने की इच्छा व्यक्त की थी और तदनुसार गर्भावस्था जारी रखने की सिफारिश की थी। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने इस आधार पर गर्भावस्था को समाप्त करने का निर्देश दिया कि पीड़ित मानसिक रूप से अपने दम पर एक सूचित निर्णय लेने में असमर्थ थी।

103. इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ उच्च न्यायालय से असहमत थी।

अदालत का फैसला। के. जी. बालाकृष्णन, सी. जे. द्वारा लिखित एक निर्णय में, इस न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि एम. टी. पी. अधिनियम के तहत गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए गर्भवती महिला की सहमति एक आवश्यक आवश्यकता है। यह माना गया कि राज्य प्रशासन दावा नहीं कर सकता है

93 पुट्टास्वामी, अनुच्छेद 373 पर

9 4 94 (2009) 9 एससीसी 1

9 5 पुट्टास्वामी, अनुच्छेद 82 [2022] 7 एस. सी. आर.

महिला की संरक्षकता क्योंकि वह एक मेजर थी। यह आगे कहा गया कि

महिला को केवल "हल्की मानसिक मंदता" थी और इसलिए वह एम. टी. पी. अधिनियम की धारा 3 (4) (ए) के संदर्भ में अपनी सहमति देने में सक्षम थी। इस न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि राज्य को अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने के निर्णयों के संबंध में "मानसिक मंदता" वाली महिलाओं के प्रजनन अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। इस प्रक्रिया में, इस न्यायालय ने माना कि एक महिला का प्रजनन स्वायत्तता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का एक आयाम हैः

" 22. इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक महिला का प्रजनन विकल्प चुनने का अधिकार भी "व्यक्तिगत स्वतंत्रता" का एक आयाम है जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत समझा जाता है। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि प्रजनन विकल्पों का उपयोग प्रजनन के साथ-साथ प्रजनन से बचने के लिए किया जा सकता है। महत्वपूर्ण विचार यह है कि एक महिला के निजता, गरिमा और शारीरिक अखंडता के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए।

प्रजनन विकल्पों के अभ्यास पर कुछ भी जैसे कि

यौन गतिविधि में भाग लेने से इनकार करने का महिला का अधिकार या

वैकल्पिक रूप से गर्भनिरोधक विधियों के उपयोग पर आग्रह। इसके अलावा, महिलाएं नसबंदी प्रक्रियाओं से गुजरने जैसी जन्म नियंत्रण विधियों को चुनने के लिए भी स्वतंत्र हैं। उनके तार्किक निष्कर्ष पर पहुँचते हुए, प्रजनन अधिकारों में एक महिला का अधिकार शामिल है -

गर्भधारण को उसकी पूर्ण अवधि तक ले जाना, जन्म देना और बाद में बच्चों का पालन-पोषण करना। हालाँकि, गर्भवती महिलाओं के मामले में भावी बच्चे के जीवन की रक्षा करने में "बाध्यकारी राज्य हित" भी है। इसलिए, गर्भावस्था की समाप्ति की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब लागू होने वाली शर्तों में निर्दिष्ट हों।

कानून पूरे हो गए हैं। इसलिए, एम. टी. पी. अधिनियम, 1971 के प्रावधानों को भी उचित प्रतिबंधों के रूप में देखा जा सकता है।

प्रजनन विकल्पों के अभ्यास पर रखा गया "।

104. सुचिता श्रीवास्तव (ऊपर) ने सही माना कि अधिकार

महिलाओं का प्रजनन विकल्प चुनना अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक आयाम है। इसने माना कि प्रजनन अधिकारों में एक महिला का गर्भावस्था को पूर्ण अवधि तक ले जाने, जन्म देने और पालन-पोषण करने का अधिकार शामिल है। बच्चे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने यह भी माना कि प्रजनन विकल्प के अधिकार में प्रजनन न करने का अधिकार भी शामिल है। ऐसा करते हुए, इसने महिलाओं के प्रजनन अधिकारों को संवैधानिक अधिकारों के मूल में स्थापित किया।

105. निर्णयात्मक स्वायत्तता निजता के अधिकार का एक अभिन्न अंग है। निर्णयात्मक स्वायत्तता अंतरंग X v के संबंध में निर्णय लेने की क्षमता है।

पीआर। एसईसीवाई। , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग। , जी. एन. सी. टी. दिल्ली [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

संबंध "। पुट्टास्वामी (ऊपर) में इस न्यायालय ने कहा कि जीवन के व्यक्तिगत पहलू जैसे परिवार, विवाह, प्रजनन और यौन अभिविन्यास सभी व्यक्ति की गरिमा के लिए आंतरिक हैं। निजता का अधिकार अंतरंग व्यक्तिगत विकल्पों का प्रयोग करने और अपने शरीर और जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर नियंत्रण रखने के लिए व्यक्ति की निर्णयात्मक स्वायत्तता की रक्षा और सम्मान करता है। सामान्य कारण v. भारत संघ ", इस न्यायालय ने कहा कि निजता का अधिकार शारीरिक अखंडता से संबंधित मामलों में निर्णयात्मक स्वायत्तता की रक्षा करता हैः

" 441. निजता का अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार और स्वायत्तता के संबंध में है। निजता का अधिकार मृत्यु के अंतरंग क्षेत्र के साथ-साथ शारीरिक अखंडता से संबंधित निर्णय लेने में स्वायत्तता की रक्षा करता है। कुछ क्षण उतने ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं जितना कि मृत्यु के संबंध में हम जिन अंतरंग और निजी निर्णयों का सामना कर रहे हैं। एक रोगी की इच्छाओं के खिलाफ निरंतर उपचार न केवल सूचित सहमति के सिद्धांत का उल्लंघन है, बल्कि शारीरिक गोपनीयता और शारीरिक अखंडता का भी उल्लंघन है जिसे एक रोगी के रूप में मान्यता दी गई है।

इस न्यायालय द्वारा निजता का पहलू "।

106. निर्णयात्मक स्वायत्तता के अधिकार का अर्थ यह भी है कि महिलाएं अपने जीवन का मार्ग चुन सकती हैं। शारीरिक परिणामों के अलावा, अवांछित गर्भधारण जो महिलाओं को कार्यकाल पूरा करने के लिए मजबूर किया जाता है उसकी शिक्षा, उसके करियर को बाधित करके या उसके मानसिक कल्याण को प्रभावित करके उसके शेष जीवन के लिए व्यापक प्रभाव पड़ता है।

107. उच्च न्यायालय में अपने स्वयं के प्रस्ताव (ऊपर) पर, एक विचाराधीन कैदी को उसे 4 महीने के लिए बर्खास्त करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया गया

शहर के सिविल और सत्र न्यायालय के एक न्यायाधीश की गर्भावस्था का दौरा करना

जेल। महिला ने कहा कि उसके लिए अपने पांच महीने के बच्चे के अलावा एक और बच्चे का पालन-पोषण करना बहुत मुश्किल होगा, जो मिर्गी, हर्निया और अन्य बीमारियों जैसी विभिन्न बीमारियों से पीड़ित था। ऐसी परिस्थितियों में, महिला ने कहा कि उसके लिए दूसरे बच्चे का पालन-पोषण और देखभाल करना मुश्किल था। न्यायाधीश ने महिला की मांग के साथ बॉम्बे उच्च न्यायालय को एक पत्र भेजा। सूचना और आगे की कार्रवाई, जिसे स्वतः संज्ञान पी. आई. एल. में बदल दिया गया था। उच्च न्यायालय ने एम. टी. पी. अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि गर्भावस्था के लिए मजबूर किया जाता है तो मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है।

या अवांछितः

9 6 पुट्टास्वामी, पैरा 248 9 7 पुट्टास्वामी, पैरा 298 98 (2018) 5 एस. सी. सी. 1 [2022] 7 एस. सी. आर.

एक. गर्भपात अक्सर एक महिला के लिए बहुत कठिन स्थिति से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका होता है। गर्भपात एक महिला द्वारा सावधानीपूर्वक लिया गया निर्णय है जो इस बात से डरती है कि उसके पास पहले से मौजूद बच्चे और घर के अन्य सदस्यों के कल्याण के लिए वह सीमित वित्तीय और अन्य संसाधनों के साथ देखभाल करने के लिए बाध्य है। एक और बच्चे के जन्म से समझौता। ये जिम्मेदार महिलाओं द्वारा लिए गए निर्णय हैं जिनके पास कुछ अन्य विकल्प हैं। वे ऐसी महिलाएं हैं जो आदर्श रूप से एक को रोकने के लिए पसंद करतीं

अवांछित गर्भावस्था, लेकिन ऐसा करने में असमर्थ थे। यदि कोई महिला गर्भावस्था जारी नहीं रखना चाहती है, तो उसे ऐसा करने के लिए मजबूर करना महिला की शारीरिक अखंडता का उल्लंघन है और

उसके मानसिक आघात को बढ़ाता है जो उसके लिए हानिकारक होगा मानसिक स्वास्थ्य। ”

108. एक महिला अपनी वैवाहिक स्थिति की परवाह किए बिना अपनी पसंद से गर्भवती हो सकती है। यदि गर्भावस्था वांछित है, तो इसे दोनों भागीदारों द्वारा समान रूप से साझा किया जाता है। हालांकि, एक अवांछित या आकस्मिक गर्भावस्था के मामले में, बोझ हमेशा गर्भवती महिला पर पड़ता है जो उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। संविधान का अनुच्छेद 21 किसी महिला के गर्भपात के अधिकार को मान्यता देता है और उसकी रक्षा करता है यदि उसका मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य दांव पर है। महत्वपूर्ण रूप से, यह केवल महिला है जिसका अपने शरीर पर अधिकार है और इस सवाल पर अंतिम निर्णय लेने वाली है कि क्या वह गर्भपात कराना चाहती है।

ii. गरिमा का अधिकार

109. गरिमा का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के इस अधिकार को समाहित करता है कि उसे एक स्व-शासित इकाई के रूप में माना जाए जिसका आंतरिक मूल्य हो। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक मनुष्य केवल एक मनुष्य होने से ही गरिमा प्राप्त करता है, और आत्म-परिभाषित और आत्म-निर्धारक विकल्प बना सकता है। गरिमा को जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के एक मुख्य घटक के रूप में मान्यता दी गई है

अनुच्छेद 21.

110. यदि अवांछित गर्भधारण वाली महिलाओं को अपनी अवधि के लिए गर्भधारण करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो राज्य उन्हें उनके जीवन का तत्काल और दीर्घकालिक मार्ग निर्धारित करने के अधिकार से वंचित कर देगा। महिलाओं को न केवल उनके शरीर पर बल्कि उनके जीवन पर भी स्वायत्तता से वंचित करना उनकी गरिमा का अपमान होगा। अपने लिए चुनने का अधिकार-चाहे वह अपने जीवन की दिशा चुनने जितना महत्वपूर्ण हो या अपनी दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों की तरह सांसारिक-X v के अधिकार का एक हिस्सा है।

पीआर। एसईसीवाई। , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग। , जी. एन. सी. टी. दिल्ली [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

गरिमा। यदि महिलाओं को अवांछित गर्भधारण जारी रखने के लिए मजबूर किया जाता है तो यह वह अधिकार है जिस पर हमला किया जाएगा। 111. केशवानंद भारती बनाम। केरल राज्य, 9 9 में यह माना गया था कि गरिमा संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है। हमारी कानूनी प्रणाली में इसका मूल मूल्य यही है-गरिमा की अवधारणा।

यह संविधान और उसमें निहित अधिकारों की नींव बनाता है। गरिमा प्रत्येक व्यक्ति में निहित है और किसी की मानवता का एक अविभाज्य पहलू है।

112. फ्रांसिस कोरली मुलिन बनाम। प्रशासक, संघ

दिल्ली क्षेत्र, 1 00 इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम के तहत बंदियों के अधिकारों पर विचार कर रही थी। इस न्यायालय ने माना कि गरिमा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक अनिवार्य हिस्सा है।

संविधान। यह देखा गयाः

" 8. ..... हम सोचते हैं कि जीवन के अधिकार में मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार और उसके साथ आने वाली सभी चीजें शामिल हैं, जैसे कि पर्याप्त पोषण, कपड़े और आश्रय और पढ़ने, लिखने और विभिन्न रूपों में खुद को व्यक्त करने की सुविधाएं, स्वतंत्र रूप से घूमना और साथी मनुष्यों के साथ मिलना-जुलना। निस्सन्देह, इस अधिकार के घटकों की मात्रा और सामग्री देश के आर्थिक विकास की सीमा पर निर्भर करेगी, लेकिन इस मामले के किसी भी दृष्टिकोण से, इसमें जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं का अधिकार और ऐसे कार्यों और गतिविधियों को जारी रखने का अधिकार भी शामिल होना चाहिए जो इस अधिकार का गठन करते हैं।

मानव की न्यूनतम अभिव्यक्ति-स्वयं। प्रत्येक कार्य जो मानव गरिमा को आहत करता है या बाधित करता है,

जीने के इस अधिकार से वंचित होना और इसमें होना होगा

कानून द्वारा स्थापित उचित, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण प्रक्रिया के अनुसार जो अन्य मौलिक अधिकारों की कसौटी पर खरी उतरती है।

113. पुट्टास्वामी (ऊपर) में हममें से एक (डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.) ने गोपनीयता, गरिमा और स्वतंत्रता के बीच परस्पर संबंध पर जोर दिया। निम्नलिखित हैः

" 298. व्यक्ति की निजता गरिमा का एक अनिवार्य पहलू है।

गरिमा का एक आंतरिक और वाद्य मूल्य दोनों है। एक आंतरिक मूल्य के रूप में, मानव गरिमा एक अधिकार या संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार है।

99 (1973) 4 एससीसी 225 100 (1981) 1 एससीसी 608 [2022] 7 एस. सी. आर.

अपने आप में रुचि। इसके वाद्य पहलू में, गरिमा और स्वतंत्रता अविभाज्य रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, प्रत्येक दूसरे को प्राप्त करने के लिए एक सुविधाजनक उपकरण है। निजता के क्षेत्र की रक्षा करने की व्यक्ति की क्षमता जीवन और स्वतंत्रता के पूर्ण मूल्य का एहसास करने में सक्षम बनाती है। स्वतंत्रता

इसका एक व्यापक अर्थ है जिसका गोपनीयता एक उपसमुच्चय है। सभी स्वतंत्रताओं का उपयोग गोपनीयता में नहीं किया जा सकता है। फिर भी अन्य को केवल एक निजी स्थान के भीतर पूरा किया जा सकता है। निजता व्यक्ति को शरीर और मन की स्वायत्तता बनाए रखने में सक्षम बनाती है। व्यक्ति की स्वायत्तता जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लेने की क्षमता है। निजता को एक स्वतंत्र मौलिक अधिकार के रूप में नहीं लिया गया है। ..... किसी की मानसिक अखंडता और गोपनीयता के बीच का अंतर व्यक्ति को विचार की स्वतंत्रता, जो सही है उसमें विश्वास करने की स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। जब ये गारंटी लिंग के साथ प्रतिच्छेदन करती हैं, तो वे एक निजी स्थान बनाते हैं जो उन सभी तत्वों की रक्षा करता है जो लिंग पहचान के लिए महत्वपूर्ण हैं। परिवार, विवाह, प्रजनन और यौन अभिविन्यास

ये सभी व्यक्ति की गरिमा के अभिन्न अंग हैं। इन सबसे ऊपर, व्यक्ति की गोपनीयता यह निर्धारित करने के एक अलंघनीय अधिकार को मान्यता देती है कि कैसे स्वतंत्रता का प्रयोग किया जाएगा। ..... गरिमा के बिना अस्तित्व नहीं हो सकता है।

गोपनीयता। दोनों जीवन, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के अपरिहार्य मूल्यों के भीतर रहते हैं जिन्हें संविधान ने मान्यता दी है।

114. नवतेज सिंह जौहर (ऊपर) में, इस अदालत ने धारा को पढ़ा

आई. पी. सी. का जहाँ तक यह सहमति से यौन आचरण को अपराध मानता हैसमान लिंग के वयस्क। महत्वपूर्ण रूप से, इस न्यायालय ने यह भी माना कि एलजीबीटीक्यू + समुदाय के अंगारे संविधान के तहत संरक्षित अधिकार की एक पूरी श्रृंखला के हकदार हैं, जिसमें अधिकार भी शामिल हैं।

निटी। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने गरिमा के महत्व का संकेत दियाः

" 144. गरिमा व्यक्ति के अस्तित्व का वह घटक है जिसके बिना

उसके अस्तित्व का पूर्ण या पूर्ण निर्वाह है

अकल्पनीय। जीवन के रंगमंच में, गरिमा के साथ पहचान की विशेषता के बिना, इकाई को केंद्र मंच में प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन इसे एक रीढ़हीन इकाई के रूप में चित्रित किया जाएगा या उस मामले में, राजदंड के बिना एक शासक राजा के रूप में पेश किया जाएगा। ऐसा कहने का उद्देश्य यह है कि प्रत्येक की पहचान

व्यक्ति "व्यक्ति" के गुण को तभी प्राप्त करता है जब उसके पास गरिमा हो। गरिमा जबकि पसंद की अभिव्यक्ति के खिलाफ है किसी भी डेंट के निर्माण के लिए। जब जैविक अभिव्यक्ति हो, तब

एक अभिविन्यास या पसंद की वैकल्पिक अभिव्यक्ति, X v का सामना करती है।

पीआर। एसईसीवाई। , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग। , जी. एन. सी. टी. दिल्ली [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

बाधा के साथ, यद्यपि किसी भी कानून के अधिरोपण के माध्यम से, व्यक्ति के प्राकृतिक और संवैधानिक अधिकार को नुकसान पहुँचाया जाता है। इस तरह

एक स्थिति अंतिम संवैधानिक की अंतरात्मा का आग्रह करती है

मध्यस्थ बाधा को नष्ट करने और हटाने के लिए

बाधा ताकि प्राकृतिक के पूर्ण खिलने की अनुमति दी जा सके

जैसा वह चाहता है वैसा आचरण करें और उसे अनुमति दें। उसे खुद को व्यक्त करने के लिए, निश्चित रूप से, सहमति के साथ

दूसरे से। यह बिना किसी डर के चुनने का अधिकार है। इसमें है।

एक आवश्यक पूर्व शर्त के रूप में अंतर्निहित होने के लिए कि सहमति है किसी भी यौन संबंध का वास्तविक आधार।

(जोर दिया गया)

115. स्वतंत्र विचार में v. भारत संघ, 1 0 1 101 यह न्यायालय

माना कि 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ यौन संबंध बनाना बलात्कार है

चाहे वह शादीशुदा हो या नहीं। इस न्यायालय ने इस तर्क को दृढ़ता से खारिज कर दिया कि विवाह की संस्था (यहां तक कि बाल विवाह) को संरक्षित करने में राज्य का एक बाध्यकारी हित था, और कहा कि आई. पी. सी. की धारा 375 के अपवाद 2 के प्रभाव को वर्तमान की सामाजिक वास्तविकताओं के साथ माना जाना चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वयस्क महिलाओं के वैवाहिक बलात्कार के व्यापक मुद्दे से निपटा नहीं गया था क्योंकि उस मामले में इस मुद्दे को विशेष रूप से नहीं उठाया गया था। गरिमा के अधिकार के संदर्भ में, यह देखा गयाः " 90 . हमें संविधान के अनुच्छेद 21 के अस्तित्व को नहीं भूलना चाहिए और न ही भूलना चाहिए जो एक लड़की को गरिमापूर्ण जीवन जीने का मौलिक अधिकार देता है। हमारे सामने रखी गई दस्तावेजी सामग्री से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जल्दी शादी एक लड़की के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को छीन लेती है और एक तरह से उसे यौन शोषण के अधीन कर देती है। किसी भी परिस्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसी लड़की बच्चा गरिमापूर्ण जीवन जीते हैं। अपनी शारीरिक अखंडता बनाए रखने के लिए एक लड़की के अधिकार को आई. पी. सी. द्वारा पवित्र की गई एक पारंपरिक प्रथा द्वारा प्रभावी रूप से नष्ट कर दिया जाता है। आई. पी. सी. की धारा 375 के उद्देश्यों के लिए, उसके पति का उसके शरीर पर प्रभावी रूप से पूर्ण नियंत्रण है और वह उसकी सहमति के बिना या उसकी इच्छा के बिना यौन संबंध बना सकता है क्योंकि ऐसी गतिविधि बलात्कार नहीं होगी। असंगत रूप से, हालांकि उसका पति उसका बलात्कार कर सकता है लेकिन वह उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता क्योंकि अगर वह ऐसा करता है तो उसे आईपीसी के प्रावधानों के तहत दंडित किया जा सकता है। एल. सी. आई. ने अपनी 172 वीं रिपोर्ट में इसे मान्यता दी थी, लेकिन ऐसा नहीं था।

टिप्पणी की। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि अलग और तर्कहीन

बालिका के पति द्वारा उसके उपचार के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं और विभिन्न कानूनों के प्रावधानों में सामंजस्य स्थापित करना और आई. पी. सी. के विभिन्न प्रावधानों में सामंजस्य स्थापित करना भी आवश्यक है।

116. गर्भपात के संदर्भ में, गरिमा का अधिकार निहित है

गर्भावस्था को समाप्त करने के निर्णय सहित प्रजनन संबंधी निर्णय लेने के लिए प्रत्येक महिला की क्षमता और अधिकार को पहचानना। यद्यपि मानवीय गरिमा प्रत्येक व्यक्ति में निहित है, लेकिन यह बाहरी स्थितियों और राज्य द्वारा लगाए गए व्यवहार के उल्लंघन के लिए अतिसंवेदनशील है। बिना अनुचित प्रजनन विकल्प चुनने का प्रत्येक महिला का अधिकार राज्य का हस्तक्षेप मानव गरिमा के विचार के केंद्र में है। प्रजनन स्वास्थ्य सेवा या भावनात्मक और शारीरिक कल्याण से वंचित रहना भी महिलाओं की गरिमा को नुकसान पहुंचाता है।

जी. नियम 3 बी की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या आगे बढ़ती है

संवैधानिक आदेश

117. जहाँ किसी प्रावधान के दो निर्माण संभव हैं, वहाँ अदालतें

उस निर्माण को प्राथमिकता देनी चाहिए जो प्रावधान को निष्क्रिय करने के बजाय प्रावधान को प्रभावी बनाता है। 102 न्यायालयों को एक ऐसे निर्माण को प्राथमिकता देनी चाहिए जो वैधानिक की संवैधानिकता के पक्ष में हो। प्रावधान। 1 3 किसी सांविधिक प्रावधान की संकीर्ण, सख्त व्याख्या से बचा जाना चाहिए जो संवैधानिक जनादेश के विपरीत है।

118. हमें ऐसा लगता है कि नियम 3 बी को प्रतिबंधात्मक और संकीर्ण बनाना है।

व्याख्या इसे असंवैधानिक ठहराने के लिए खतरनाक रूप से करीब बना देगी, क्योंकि यह अविवाहित महिलाओं को बीस से चौबीस सप्ताह के बीच सुरक्षित और कानूनी गर्भपात के अधिकार से वंचित कर देगी यदि वे विवाहित महिलाओं की तरह अपनी भौतिक परिस्थितियों में बदलाव का सामना करती हैं।

119. एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स लिमिटेड बनाम में संविधान पीठ।

भारत संघ, 04 ने कामकाजी पत्रकार (सेवा की शर्त) और विविध प्रावधान अधिनियम की धारा 9 (1) को व्यापक अर्थ दिया।

1955 , 05 इसे असंवैधानिक बनाने से बचने के लिए। कामकाजी पत्रकार

102 जस्टिस जी. पी. सिंह, जी. पी. सिंहः स्टेट्यूटरी इंटरप्रिटेशन के सिद्धांत, (लेक्सिस्नेक्सिस, 2016), पृष्ठ 48 पर; सी. आई. टी. v. एस. तेजा सिंह, ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 352; एम. पेंटिया बनाम। वीरमल्लप्पा मुद्दल, 1961 (2) एस. सी. आर. 295; तिनसुकिया विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड बनाम। असम राज्य (1989) 3 एस. सी. सी. 709 103 के. पी. वर्गीज बनाम आई. टी. ओ.

(1981) 4 एस. सी. सी. 173; एम. एल. कामरा बनाम अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 1992 एससीआर (1) 220

104 1959 एससीआर 12, एआईआर 1958 एससी 578 105 " कार्यशील पत्रकार अधिनियम "X v.

पीआर। एसईसीवाई। , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग। , जी. एन. सी. टी. दिल्ली [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

अधिनियम मजदूरी की दर निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक मानदंड प्रदान करता है। उस मामले में याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि कामकाजी पत्रकार अधिनियम

मजदूरी की दर का निर्धारण, जो केवल निर्वाह या न्यूनतम से अधिक हो। मजदूरी।

120. गीता हरिहरन बनाम। भारतीय रिजर्व बैंक, 06 इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ को हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम 1956 की धारा 6 (ए) में "उसके बाद" शब्द की व्याख्या करनी थी, जो यह प्रावधान करता है कि एक हिंदू नाबालिग का प्राकृतिक अभिभावक, एक लड़के या एक नाबालिग के मामले में।

अविवाहित लड़की, "पिता और उसके बाद माँ" है। इस न्यायालय ने "उनके बाद" की व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 में निहित लैंगिक समानता के संवैधानिक जनादेश को आगे बढ़ाने के लिए "की अनुपस्थिति में" की। इस न्यायालय ने कहा कि संक्षिप्त व्याख्या

पिता के जीवनकाल के दौरान अभिभावक के रूप में कार्य करने के लिए एक माँ की अयोग्यता का अर्थ रखने वाले वाक्यांश ने धारा को बना दिया होगा

लिंग के आधार पर भेदभाव के खिलाफ संवैधानिक निषेध का उल्लंघन करने के लिए असंवैधानिक।

121. नियम 3 बी के साथ पठित एम. टी. पी. अधिनियम की धारा 3 (2) (बी) का उद्देश्य बीस से चौबीस सप्ताह के बीच गर्भपात का प्रावधान करना है।

भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अवांछित प्रस्तुत किया गया

महिलाएँ। उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, अविवाहित या एकल महिलाओं (जो अपनी भौतिक परिस्थितियों में बदलाव का सामना करती हैं) को नियम 3 बी के दायरे से बाहर रखने का कोई तर्क नहीं है। नियम 3 बी की एक संकीर्ण व्याख्या, जो केवल विवाहित महिलाओं तक सीमित है, इस प्रावधान को अविवाहित महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला बना देगी। अनुच्छेद 14 राज्य से किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित करने से बचने की अपेक्षा करता है। अविवाहित या अविवाहित पर प्रतिबंध गर्भवती महिलाओं (जिनकी गर्भावस्था चौबीस सप्ताह के बीच होती है) को उसी अवधि के दौरान विवाहित महिलाओं को गर्भपात कराने की अनुमति देना अनुच्छेद 14 का मार्गदर्शक है। कानून को संकीर्ण पितृसत्तात्मक सिद्धांतों के आधार पर एक क़ानून के लाभार्थियों को तय नहीं करना चाहिए कि "अनुमेय लिंग" क्या है, जो अपमानजनक वर्गीकरण बनाता है और उनके आधार पर समूहों को बाहर करता है।

व्यक्तिगत परिस्थितियाँ। प्रजनन स्वायत्तता, गरिमा के अधिकार,

और अनुच्छेद 21 के तहत गोपनीयता एक अविवाहित महिला को विवाहित महिला के समान आधार पर बच्चे को जन्म देने या न देने के बारे में पसंद करने का अधिकार देती है।

महिला। 122. नियम 3 बी की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या को देखते हुए, हमें इसकी संवैधानिक वैधता पर निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है।

H. अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत भारत के दायित्व

123. संविधान के अनुच्छेद 51 में राज्य से अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान बढ़ाने की अपेक्षा की गई है। लोगों को एक दूसरे के साथ संगठित करें। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को मान्यता देता है और शामिल करता है और

भारतीय मानवाधिकार कानून के हिस्से के रूप में संधियाँ। 07 भारत द्वारा अनुसमर्थित संधियों और समझौतों में निहित अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानदंड राज्य पर इस हद तक बाध्यकारी हैं कि वे संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को स्पष्ट और प्रभावी करते हैं। 108

प्राणियों। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति ने टिप्पणी की है कि अनुच्छेद 6 के संदर्भ में, राज्य दलों की जिम्मेदारी है कि वे सुरक्षित, कानूनी, और गर्भपात के लिए प्रभावी पहुँच। 109 इसके अलावा, यह सुझाव दिया गया कि राज्य दलों को गर्भपात की मांग करने वाली महिलाओं और लड़कियों को कलंकित करने से रोकने के लिए यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में गुणवत्ता और साक्ष्य आधारित जानकारी और शिक्षा का प्रसार करना चाहिए।

125. भारत ने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा की भी पुष्टि की है, जिसमें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के अधिकार का विस्तार से उल्लेख किया गया है।

मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर समिति ने आई. सी. ई. एस. सी. आर. के अनुच्छेद 12 पर अपनी टिप्पणी में कहा है कि यौन और प्रजनन स्वास्थ्य का अधिकार उच्चतम प्राप्य शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के अधिकार का एक अभिन्न अंग है। 1 1 1

107 धारा 2 (1) (डी), मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993

108 पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज v. भारत संघ, (1997) 3 एस. सी. सी. 433

109 मानवाधिकार समिति, जीवन के अधिकार पर नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा के अनुच्छेद 6 पर सामान्य टिप्पणी संख्या 36 (2018), सी. सी. पी. आर./सी/जी. सी./36 (30 अक्टूबर 2018)

110 " आईसीईएससीआर "

111 आर्थिक और सामाजिक परिषद, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के अधिकार पर सामान्य टिप्पणी संख्या 22 (2016) (आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा का अनुच्छेद 12), ई/सी. 12/जी. सी./22 (2 मई 2016)

एक्स वी। पीआर। एसईसीवाई। , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग। , जी. एन. सी. टी. दिल्ली [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

126. भारत ने महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर समझौते की पुष्टि की है। सी. ई. डी. ए. डब्ल्यू. का अनुच्छेद 12

अंतर्राष्ट्रीय कानून। हालाँकि, राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करना चाहिए कि भारत में महिलाएं देश द्वारा ग्रहण किए गए दायित्वों के अनुरूप प्रजनन स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवा के अपने अधिकार को साकार करने में सक्षम हों। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत।

I. राज्य के सकारात्मक दायित्वों को दोहराना

129. प्रजनन स्वायत्तता की वास्तविक प्राप्ति केवल उन सामाजिक संदर्भों में समस्याओं का समाधान करके संभव है जिनके भीतर व्यक्ति,

विशेष रूप से महिलाएं स्थित हैं। यह न केवल सामाजिक कलंक है जो महिलाओं को स्वास्थ्य के अधिकार को महसूस करने से रोकता है, बल्कि जाति और आर्थिक अधिकार को भी समझता है 112 " सी. ई. डी. ए. डब्ल्यू. 113 महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के उन्मूलन पर समिति, सामान्य अनुशंसा संख्या 24: कन्वेंशन (महिला और स्वास्थ्य) का अनुच्छेद 12, ए/54/38/Rev.1, अध्याय। आई (1999)

स्थान। निजी अस्पताल में गर्भपात की लागत निषेधात्मक हो सकती है।

उन लोगों के लिए जिनका मासिक वेतन उस लागत का एक अंश है। ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक अस्पताल अक्सर स्वास्थ्य सेवा के प्रकार और गुणवत्ता प्रदान करने के लिए संसाधनों से लैस नहीं होते हैं जो मुफ्त या अत्यधिक रियायती दरों पर प्रदान किए जाने चाहिए। सार्वजनिक अस्पतालों द्वारा प्रदान किए जाने वाले संसाधनों के बारे में जागरूकता की कमी भेदभावपूर्ण है

कई स्वास्थ्य प्रदाताओं का रवैया केवल इस समस्या को बढ़ाने का काम करता है।

130. एम. टी. पी. अधिनियम प्रत्येक गर्भवती महिला की प्रजनन स्वायत्तता को मान्यता देता है ताकि उसे समाप्त करने के लिए चिकित्सा हस्तक्षेप का चयन किया जा सके। गर्भावस्था। स्पष्ट रूप से, यह अधिकार गर्भवती के अधिकार तक भी फैला हुआ है।

महिलाओं को उच्चतम मानक प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच

यौन और प्रजनन स्वास्थ्य। पूर्व की अनुपस्थिति में उत्तरार्द्ध के बारे में बात करना अर्थहीन है। प्रजनन स्वास्थ्य का तात्पर्य है कि महिलाओं को परिवार नियोजन के सुरक्षित, प्रभावी और किफायती तरीकों तक पहुंच होनी चाहिए और यदि वे चाहें तो उन्हें सुरक्षित गर्भावस्था से गुजरने में सक्षम बनाना चाहिए।

131. संविधान के भाग IV में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत राज्य के शासन में मौलिक सिद्धांतों को निर्धारित करते हैं।

देश और राज्य पर कानून बनाते समय उन्हें लागू करने के लिए दबाव डालना। संविधान के अनुच्छेद 38 (2) में राज्य को कल्याण को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

लोगों को आकर्षित करना और अवसरों में असमानताओं को दूर करनाः

" अनुच्छेद 38। लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए राज्य-* * *
(2) राज्य, विशेष रूप से, आय में असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, और न केवल व्यक्तियों के बीच, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले या विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के समूहों के बीच भी स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को खत्म करने का प्रयास करेगा।

व्यवसाय "।

132. संविधान के अनुच्छेद 47 में सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य से आह्वान किया गया हैः

" 47. पोषण के स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य-राज्य अपने लोगों के पोषण के स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में से एक मानेगा और विशेष रूप से, राज्य इसे लाने का प्रयास करेगा।

पीआर। एसईसीवाई। , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग। , जी. एन. सी. टी. दिल्ली [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं के औषधीय उद्देश्यों को छोड़कर सेवन का निषेध।

133. देविका विश्वास बनाम। भारत संघ, 1 1 4 याचिकाकर्ताओं ने सामूहिक नसबंदी कार्यक्रम को चुनौती दी जिसे सरकार द्वारा अत्यधिक अस्वच्छ परिस्थितियों में लागू किया गया था। इस न्यायालय ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून में वर्णित प्रजनन स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं का सम्मान करने और उनकी रक्षा करने की आवश्यकता को मान्यता दी। इसने नोट किया कि प्रजनन स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाली सरकारी नीतियों का उद्देश्य समाज में प्रचलित प्रणालीगत भेदभाव को दूर करना और पर्याप्त समानता सुनिश्चित करना होना चाहिए। पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य, 1 1 5 इस न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य के अधिकार और जीवन के अधिकार की रक्षा करने के लिए राज्य पर दायित्व अधिरोपित करता है। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यह संवैधानिक दायित्व राज्य को प्रोत्साहित करता है

लोगों को पर्याप्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना और सभी को समय पर चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करना। मामलों के उपरोक्त परिप्रेक्ष्य से पता चलता है कि अनुच्छेद 21 के तहत राज्य की सुरक्षा के लिए एक सकारात्मक दायित्व है।

स्वास्थ्य का अधिकार और विशेष रूप से व्यक्तियों के प्रजनन स्वास्थ्य का अधिकार। प्रजनन अधिकारों और स्वायत्तता के संदर्भ में, राज्य को स्वास्थ्य सेवा (गर्भपात जैसे प्रजनन स्वास्थ्य सेवा सहित) तक पहुंच बढ़ाने में मदद करने के लिए सक्रिय कदम उठाने होंगे।

134. राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रजनन के संबंध में जानकारी

और आबादी के सभी हिस्सों में सुरक्षित यौन प्रथाओं का प्रसार किया जाता है। इसके अलावा, यह देखना चाहिए कि समाज के सभी वर्ग अनपेक्षित गर्भधारण से बचने और अपने परिवार की योजना बनाने के लिए गर्भ निरोधकों का उपयोग करने में सक्षम हैं। चिकित्सा सुविधाएँ और आर. एम. पी. प्रत्येक जिले में मौजूद होनी चाहिए और सभी के लिए सस्ती होनी चाहिए। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आर. एम. पी. सभी रोगियों का समान और संवेदनशील तरीके से इलाज करें। उपचार से इनकार नहीं किया जाना चाहिए

किसी की जाति या अन्य सामाजिक या आर्थिक कारकों के आधार पर। यह तभी है जब ये सिफारिशें वास्तविकता बन जाती हैं कि हम कह सकते हैं कि

शारीरिक स्वायत्तता का अधिकार और गरिमा का अधिकार प्राप्त करने में सक्षम हैं।

135. हम स्पष्ट करते हैं कि इस निर्णय में कुछ भी गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान के प्रावधानों को कमजोर करने के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम 1994।

114 (2016) 10 एस. सी. सी. 726 115 (1996) 4 एस. सी. सी. 37 754

136. हम कारणों के संदर्भ में वर्तमान अपील का निपटारा करते हैं।

ऊपर बताया गया है। उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका का तदनुसार निपटारा किया जाएगा।

137. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, तो उनका निपटारा कर दिया जाता है।

अंकित ज्ञान

(सहायकः आरश चौधरी, एलसीआरए)